दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 26 अप्रैल, 2023

के मामले में:

रि.या.(आप) 1505/2021 व आप.वि.आ. 12645/2021 व 811/2022

सुश्री एक्स ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री संजीव महाजन, श्री सचिन टंडन, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री अनुराग अहलूवालिया, कें.स.स्था.अधि. सह श्री गुरसिहर प्रीत सिंह, श्री दानिश फराज़ खान, भारत संघ हेतु अधिवक्ता।

सुश्री नंदिता राव, राज्य के अति.स्था.अधि. सह श्री अमित पेशवानी, सुश्री आलिया वज़िरी, अधिवक्तागण तथा निरीक्षक कुसुम डांगी, आईएफएसओ साइबर सेल, द्वारका।

श्री अरविंद निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री ममता रानी झा, सुश्री श्रुतिमा एहर्सा, श्री रोहन आहूजा, श्री वात्सल्य विशाल एवं सुश्री रिया गुप्ता, प्र-3/गूगल एलएलसी के

अधिवक्ता।

श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री अनुष्का शारदा, श्री माधव खोसला, सुश्री मोह परांजपे, प्रत्यर्थी सं. 4 (माइक्रोसॉफ्ट) के लिए अधिवक्ता।

श्री देबोप्रियो मौलिक एवं सुश्री श्वेता छाबड़ा, प्र-10 हेतु अधिवक्तागण

श्री सौरभ कृपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता (*न्याय मित्र*) सह सुश्री तनिमा गौर, श्री सिद्धांत कुमार, सुश्री मान्या चंदोक, सुश्री विधि उदयशंकर, अधिवक्तागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 सह पठित दंड प्रक्रिया संहिता (*इसके बाद- "दं.प्र.सं." के रूप में संदर्भित*) की धारा 482 के तहत दायर की गई है जो, संक्षेप में, याचिकाकर्ता के अंतरंग चित्रों को प्रदर्शित करने वाली कुछ साइटों को अवरुद्ध करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा लाजपत नगर थाना, नई दिल्ली को दिनांक 03.08.2021 को की गई शिकायत से जनित प्रथम सूचना आख्या (प्राथमिकी) को पंजीकृत करने की मांग करती है।

<u>मामले की उत्पत्ति</u>

2. प्रारंभ में ही, यह न्यायालय <u>निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ</u>, **(2019) 2 एससीसी 703** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप याचिकाकर्ता को "श्रीमती एक्स" से संदर्भित करना उचित मानता है, जिसमें यह देखा गया कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में, किसी भी प्रकृति की यौन हिंसा के उत्तरजीवी / पीड़ितों को बिना किसी उनकी गलती के बहिष्कार झेलने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए, भविष्य में उत्तरजीवी/पीड़िता के प्रतिकूल भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए, इस न्यायालय का विश्वास है कि याचिकाकर्ता को "श्रीमती एक्स" से संदर्भित करना विवेकपूर्ण है।

3. ऊपर बताए जाने के बाद, वर्तमान याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार बताया गया हैः

क) यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित महिला है जिसका नौ साल का बेटा है। दिसंबर 2019 में, वह श्री रिचेश मानव सिंघल से परिचित हुईं, जिसने सोशल मीडिया द्वारा उससे संपर्क किया और स्वयं का एक अंग्रेज चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में परिचय दिया। यह कहा गया है कि फरवरी 2020 में, याचिकाकर्ता ने श्री सिंघल के साथ अपना व्यक्तिगत संपर्क नंबर साझा किया, और समय के साथ, याचिकाकर्ता श्री सिंघल की करीबी हो गई।

ख) जुलाई 2020 में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी नौकरी और वित्तीय बाधाओं के कारण गुरुग्राम में किराए के आवास पर अपने बेटे के साथ रह रही थी। श्री सिंघल ने याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति का लाभ उठाया, उसके घर आया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसने कथित तौर पर न केवल याचिकाकर्ता की अश्लील तस्वीरें खींची, बल्कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से अश्लील तस्वीरें भी स्थानांतरित कर दीं, जो याचिकाकर्ता ने अपने पति के साथ साझा करने के उद्देश्य से स्वयं खींची थीं।

ग) यह कहा गया है कि श्री सिंघल ने याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे को विभिन्न यौन कृत्यों में भी शामिल किया। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने श्री सिंघल के खिलाफ लाजपत नगर थाने में शिकायत दर्ज की, और उसी के आधार पर, एक शून्य प्राथमिकी पंजीकृत की गई और उसके बाद जांच को गुरुग्राम स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा कहा गया है कि कई मौकों पर, श्री सिंघल ने याचिकाकर्ता को धमकी दी कि वह विभिन्न अश्लील वेबसाइटों पर उसकी यौन अश्लील तस्वीरें लीक कर देगा और अगर उसने उसे बड़ी राशि नहीं दी तो वह उसके बेटे को मार देगा। नतीजतन, याचिकाकर्ता से जबरन वसूली की गई जिसमें श्री सिंघल को उसके सारे गहने सौंपने के साथ-साथ लाखों रुपये दिए।

घ) यह कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता की निधि क्षीण हो गई थी तथा वह श्री सिंघल को और पैसा देने में असमर्थ थी, इसलिए उसने उसकी धमकियों को सच कर दिखाया और याचिकाकर्ता की सहमति या अनुमति के बिना विभिन्न अश्लील वेबसाइटों पर याचिकाकर्ता की अश्लील चित्रों को लीक कर दिया। इसके कारण याचिकाकर्ता ने श्री सिंघल के खिलाफ थाना लाजपत नगर के थानाध्यक्ष को दिनांक 03.08.2021 को नए अपराधों को पंजीकृत करने की शिकायत दी। उक्त शिकायत में कहा गया है कि श्री सिंघल ने याचिकाकर्ता के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया था, और दैनिक आधार पर उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहा है।

ङ) याचिकाकर्ता के प्रत्यर्थीगण सं. 3 से 6 अर्थात गूगल एलएलसी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बाद में माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड ऑपरेशंस लिमिटेड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो अपने सर्च इंजन, बिंग का प्रबंधन करने वाली इकाई है), यूट्यूब.कॉम और विमो.कॉम के शिकायत प्रकोष्ठों से संपर्क करने, साथ ही साइबरक्राइम.जीओवी.आईएन पर कई शिकायतें देने के बावजूद, याचिकाकर्ता की अश्लील तस्वीरों को नहीं हटाया गया।

च) उसके पास उपलब्ध निवारण प्रक्रियाओं में विफलता से व्यथित, याचिकाकर्ता ने इंटरनेट पर उसकी सभी गैर-सहमति वाली अंतरंग

तस्वीरों को हटाने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दिए जाने हेतु वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, दिनांक 11.08.2021 के आदेश के द्वारा, प्रत्यर्थी सं. 5 को पक्षों की सरणी से हटा दिया गया था, और इस न्यायालय ने गुरुग्राम में संबंधित थाने को अभियोजित करने का निर्देश दिया। दिनांक 07.09.2021 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले श्री अनुराग अहलूवालिया, गूगल एलएलसी और यूट्यूब की ओर से उपस्थित होने वाली सुश्री ममता झा को सूचित किया कि तत्काल मामला प्रतिकूल प्रकृति का नहीं था और याचिकाकर्ता से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में उनकी ओर से पूर्ण सहयोग की आशा की गई थी, जिसे सुनवाई की अगली तारीख से पहले किया जा रहा था।

5. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यू.आर.एल.) को अवरुद्ध/हटाने के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की ओर से स्थिति आख्या दिनांकित 28.08.2021 एवं 14.09.2021 दायर की गई थी। दिनांक 14.09.2021 की स्थिति आख्या में कहा गया है कि शेष सक्रिय यूआरएल/लिंक को संबंधित मध्यवर्तियों द्वारा ब्लॉक/हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात भारत संघ की ओर से दिनांक 16.09.2021 को एक स्थिति आख्या दायर की गई थी। वर्तमान प्रकृति के

मामलों पर दिल्ली पुलिस की अधिकारिता को दर्ज करने वाली उक्त स्थिति आख्या के प्रासंगिक भागों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"3. गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in), जो कि एक केंद्रीय मंच है, शुरू किया है, जो पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को सभी प्रकार की साइबर अपराध शिकायतों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।*
>
> *4. यह पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी) - बलात्कार / सामूहिक बलात्कार (सीपी / आरजीआर) विषयवस्तु अन्य साइबर अपराधों से संबंधित बाल यौन उत्पीड़न विषयवस्तु जैसी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। जब शिकायतकर्ता अपनी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहते हैं तो नागरिकों के पास गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है। वे विभिन्न चरणों में शिकायत की स्थिति का पता लगाने के लिए एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायतों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।*
>
> *5. यह कि सरकार ने नागरिकों को पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (155260) को भी चालू किया है।*
>
> *6. यह कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर एक नागरिक द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायत स्वचालित रूप से संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण को अग्रेषित कर दी जाती है तथा निर्धारित कानून*

और प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकरण या थाने को सौंपने के लिए संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारी के इनबॉक्स में दिखाई देती है।

7. यह कि गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और उससे जुड़े कार्यों के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

8. यह कि दिल्ली पुलिस वर्तमान मामले में विधि प्रवर्तन अभिकरण है और उन्हें रि.या. के अनुच्छेद 18 में उल्लिखित यूआरएल को अवरुद्ध करने हेतु आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

9. यह कि दिल्ली पुलिस वह अभिकरण है जिसे पोर्टल द्वारा विषय शिकायत भेजी जाती है और उसके पास कार्रवाई करने की अधिकारिता है; इसलिए सभी प्रासंगिक यूआरएल को अवरुद्ध करने की कार्रवाई योग्य जानकारी / स्थिति दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रत्यर्थी होने के नाते इसे दायर कर सकती है।

10. यह कि विषय मुद्दे की प्रकृति तथा इस शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, माननीय न्यायालय उपरोक्त किए गए प्रकथनों को सहर्ष स्वीकार कर सकता है तथा एलइए अर्थात 'पुलिस' के रूप में दिल्ली पुलिस के उत्तर एवं 'लोक व्यवस्था' के राज्यों के विषय होने के कारण

विचार कर सकता है, याचीगण द्वारा उठाए गए मुद्दे मुख्य रूप से पहचान, जांच व अभियोजन से संबंधित हैं जो विधि के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।"

6. इसके बाद, याचिकाकर्ता की ओर से एक अतिरिक्त शपथ पत्र दिनांकित 21.09.2021 दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपमानजनक सामग्री को लगातार पुनः प्रस्तुत और फिर से अपलोड किया जा रहा है। दिनांक 06.10.2021 को, इस न्यायालय को गूगल एलएलसी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया था कि हालांकि यूट्यूब से सभी आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया गया था और विशेष रूप से आपूर्ति किए गए यूआरएल गूगल द्वारा डी-इंडेक्स किए गए थे, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि यह अन्य सर्च इंजनों द्वारा इंटरनेट पर नहीं पाया जा सकता था और केवल सर्च इंजनों को लिंक को डी-इंडेक्स करने का निर्देश देना एक पर्याप्त समाधान नहीं होगा।

7. मामले की प्रकृति में जटिलता और इस तथ्य के कारण कि इस न्यायालय के सुसंगत आदेशों को विफल किया जा रहा था, आदेश दिनांकित 06.10.2021 के अनुसार, इस न्यायालय ने श्री सौरभ कृपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, को *न्यायमित्र* रूप में नियुक्त करना उचित समझा, ताकि इस न्यायालय को विधि की स्थिति और इस तरह के मामलों में मध्यवर्तियों को किस हद तक निर्देश जारी किए जा सके ताकि याचिकाकर्ता तथा अन्य समान

रूप से स्थित व्यक्तियों के संमुखीन मध्यवर्तियों के कर्तव्यों के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तदनुसार, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वर्तमान रिट याचिका के दायरे का विस्तार किया गया है, और जो भी निर्देश दिए जाएंगे, वे सर्च इंजनों, एमईआईटीवाई व दिल्ली पुलिस तक सीमित होंगे।

8. वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से एक संक्षिप्त शपथ पत्र दिनांकित 22.12.2021 दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसके बाद "आईटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) का संरक्षक है। संक्षिप्त शपथ पत्र में उक्त अधिनियम के उद्देश्य तथा प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार्य संहिता) नियम, 2021 (इसके बाद "आईटी नियम" के रूप में संदर्भित) का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आईटी नियम न केवल महिलाओं और बच्चों की बढ़ी हुई सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि यह शिकायत निवारण और सामग्री को हटाने के लिए वैधानिक समयसीमा भी प्रदान करते हैं। इसके बाद, शपथ पत्र में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के नाम को अलग करने / डी-टैगिंग / डी-रेफरेंसिंग / डी-इंडेक्स करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना याचिकाकर्ता के समान नाम या एक से नाम वाले अन्य व्यक्तियों की बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर

प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उपरोक्त का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त शपथ पत्र के अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

> "5. यह प्रस्तुत किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इसके बाद "एमईआईटीवाई" के रूप में संदर्भित) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसके बाद "आईटी अधिनियम, 2000" के रूप में संदर्भित) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का संरक्षक है।
>
> 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईटी अधिनियम, 2000 में क्रमशः शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन, अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए अध्याय 11 के अंतर्गत धारा 66ड़, 67 व 67क के तहत प्रावधान हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आई.टी. अधिनियम, 2000 की धारा 67ख इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों का यौन अश्लील चित्रण करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करने का प्रावधान करती है।
>
> 7. यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 में मध्यवर्तियों के लिए सुरक्षित शरण देने वाले प्रावधान हैं, जैसा कि इसकी धारा 2(1)(ब) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यवर्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ दायित्व से छूट सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन उचित तत्परता के साथ करना चाहिए। आगे यह

प्रस्तुत किया गया है कि खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (इसके बाद "आईटी नियम, 2021" से संदर्भित) को दिनांक 25.02.2021 को अधिसूचित किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 का भाग II आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो एक मध्यवर्ती द्वारा दिखाई जाने वाली उचित तत्परता से संबंधित है। आईटी नियम 2021 की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे संलग्नक आरए-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने हाल ही में अपने सभी हितधारकों के लिए सरल और समझने में आसान भाषा में आईटी नियम, 2021 के आशय को संप्रेषित करते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) प्रकाशित किए हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और इसे संलग्नक आरए-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि ऊपर कथित है, आईटी नियम, 2021 का विधायी उद्देश्य खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 सभी मध्यवर्तियों द्वारा पालन किए जाने वाली उचित तत्परता के साथ-साथ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (एसएसएमआई), यानी भारत में 50

लाख या उससे अधिक के पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले मध्यवर्तियों द्वारा पालन किए जाने वाली अतिरिक्त उचित तत्परता को निर्धारित करता है।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 को उपयोगकर्ता की सुरक्षा में वृद्धि के लिए तैयार किया गया है, यानी संबंधित व्यक्ति की रूपांतरित तसवीरें, प्रतिरूपण, शारीरिक गोपनीयता के भंग से संबंधित सामग्री के विशिष्ट मामलों में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामग्री को हटाने के लिए प्रत्यक्ष अनुरोधों का मध्यवर्तियों द्वारा उत्तर देना ताकि नुकसान और भावनात्मक संकट को रोकने की तत्काल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, विशेष रूप से रिवेंज पोर्न और अन्य समान उदाहरणों के मामलों में।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आईटी नियम, 2021 का स्पष्ट उद्देश्य उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 के विभिन्न प्रावधान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इनमें शामिल हैं:

> "1. [नियम 3(ठ)(ख)] नियमों और शर्तों में स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाने वाली कुछ आवश्यकताओं का विशिष्ट समावेश।
>
> 2. शारीरिक निजता का उल्लंघन करने वाली रिवेंज पोर्न और इसी तरह की सामग्री के संबंध में पीड़िता द्वारा

रिपोर्ट करना और सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करना [नियम 3(2)(ख)]।

3. मध्यवर्तियों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र में वृद्धि [नियम 3(2)(क)]।

4. एसएसएमआई के लिए एक निवासी शिकायत अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने का अतिरिक्त प्रावधान, जो सभी भारत के निवासी होंगे; और भारत में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का एक भौतिक संपर्क पता (नियम 4(1) और 4(5)।

5. नियमों में यह भी प्रावधान है कि मध्यवर्ती अभियोजन के लिए बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम) इमेजरी से संबंधित जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने के लिए विधि प्रवर्तन अभिकरणों (एलईए) के साथ सहयोग करेगा [नियम 4(2)]।

6. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती बाल यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि के किसी भी चित्र की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को लागू करने का प्रयास करेंगे चाहे वो नियम [नियम 4(4)] में सुरक्षा उपायों के अनुसार वास्तविक या सिमुलेटेड हो।"

12. यह प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 शिकायत निवारण और सामग्री को हटाने के लिए निम्नलिखित वैधानिक समयसीमा प्रदान करता हैः

1. शिकायत निवारण; अभिस्वीकार करने के लिए 24 घंटे और निपटान के लिए 15 दिन [नियम 3(2)]।

2. न्यायालय आदेश या विधि द्वारा अधिकृत उपयुक्त सरकार से नोटिस के आधार पर वास्तविक जानकारी के आधार पर प्लेटफार्म से सूचना हटानाः 36 घंटे [नियम 3 (1)(घ)]

3. वैध अनुरोध पर सूचना प्रदान करनाः 72 घंटे [नियम 3 (1)(ञ)]

4. रिवेंज पोर्नोग्राफी को हटाना (यौन उद्दापन / गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी प्रकाशन / यौन कृत्य या प्रतिरूपण से जुड़े आचरण, आदि) और अन्य समान सामग्रीः 24 घंटे [नियम 3 (2)(ख)]।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता की शिकायतें आईटी नियम, 2021 के नियम 3(2)(ख) के अंतर्गत आती हैं और तदनुसार, याचिकाकर्ता के पास अपमानजनक सामग्री वाले यूआरएल को हटाने के लिए विधि प्रवर्तन अभिकरणों सहित उसकी ओर से सीधे या किसी भी व्यक्ति द्वारा से मध्यवर्ती से संपर्क साधने का एक प्रभावी उपाय है।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड (ख) में याचिकाकर्ता की प्रार्थना जिसमें सर्च इंजनों से याचिकाकर्ता के नाम को डीलिंकिंग / डी-टैगिंग / डी-रेफरेंसिंग / डी-इंडेक्सिंग करने की मांग की गई है, याचिकाकर्ता के समान या मिलते जुलते नाम वाले अन्य

व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

15. यह प्रस्तुत किया गया है कि आईटी नियम, 2021 का नियम 3(2)(ख) याचिकाकर्ता को मध्यवर्तियों को जानकारी / यूआरएल सूचित करके सामग्री को हटाने की मांग करने का अधिकार देता है, जो 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने के लिए बाध्य हैं।"

9. स्थिति आख्या दिनांकित 16.03.2022 के द्वारा, इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि अभियुक्त रिचेष मानव सिंघल और श्वेता छाबड़ा को उनके आवास पर एक जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आवास पर एक लैपटॉप में याचिकाकर्ता सहित 83,000 से अधिक अश्लील चित्रों की खोज की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि अभियुक्त कई अन्य मामलों में संलिप्त था। स्थिति आख्या का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

"इसके अलावा, सूचना के आधार पर, दिनांक 8.3.2022 की भोर में, मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने सी-2400, सुट सं. 103 सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा गए। रिचेश मानव सिंघल एवं श्वेता उपरोक्त पते पर मौजूद पाए गए थे। वे जांच में शामिल हुए और पूछताछ के बाद दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। फर्द मकबूज़गी के अनुसार पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कुल 23,99,182 रुपये नकद, आभूषण, 17 मोबाइल और 4 लैपटॉप जब्त किए। अभियुक्त के पास से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही

है। याचिकाकर्ता श्रीमती एक्स की नग्न तस्वीरों सहित विभिन्न लड़कियों की बड़ी संख्या में (83,000 से अधिक) आपत्तिजनक तस्वीरें एक लैपटॉप में पाई गई हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन की आगे की फोरेंसिक जांच चल रही है। यह पाया गया है कि अभियुक्त रिचेश मानव सिंघल पहले भी कई मामलों में शामिल है जो इस प्रकार हैं

1.) प्राथमिकी सं. 448/2016, भा.दं.सं. की धारा 66(क), 354घ/506/509, थाना मुखर्जी नगर,

2) प्राथमिकी सं. 1161/15, भा.दं.सं. की धारा 354/354(क), 354ख, 509, थाना वसंत कुंज उत्तर

3) प्राथमिकी सं. 355/15, भा.दं.सं. की धारा 376/323/506, थाना मालवीय नगर,

4.) प्राथमिकी सं. 206/2017, भा.दं.सं. की धारा 354घ/509, थाना तिमारपुर,

5.) प्राथमिकी सं. 185/21, भा.दं.सं. की धारा 376,506, 8/10 पॉक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 56, गुरुग्राम

दोनों आरोपी व्यक्ति रिचेश मानव सिंघल और श्वेता छाबड़ा पीसी रिमांड पर हैं। जांच अभी भी जारी है। अधोहस्ताक्षरी माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है"

10. अतः रिट याचिका निष्फल हो जाती है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता जैसे पीड़ितों को किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने

के लिए बार-बार सर्च इंजन सहित अधिकारियों / मध्यवर्तियों से संपर्क करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, इस न्यायालय ने आगे की कार्रवाई की है ताकि उचित निर्देश जारी किए जा सकें।

11. दिनांक 22.03.2022 के आदेश के द्वारा, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं.3, अर्थात गूगल एलएलसी, और प्रत्यर्थी सं. 4 अर्थात माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

> *"1. सर्च इंजन यानी प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल एलएलसी और प्रत्यर्थी सं. 4/माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें उल्लिखित हो कि उनके पास कौन सी तकनीकें है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय द्वारा हटाए जाने के लिए निर्देशित की गई सामग्री को हटाने के बाद इंटरनेट पर फिर से दिखाई न दे, जो शिकायतकर्ता को उसी आदेश के लिए बार-बार कानून लागू करने वाले अभिकरणों / न्यायालयों में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। यह खुलासा करने का भी निर्देश दिया जाता है कि क्या ऐसी सामग्री को विशिष्ट यू.आर.एल. के संदर्भ के बिना हटाया जा सकता है।*
>
> *2. उक्त शपथ पत्र आज से तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाए। उसी की एक प्रति विद्वान न्याय मित्र को प्रदान की जाए।"*

12. वर्तमान मामले में निर्णय सुरक्षित करने के बाद, विद्वान न्याय मित्र आप.वि.आ. सं. 22861/2022 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 को अभिलेख पर रखने की मांग की। दिनांक 20.12.2022 के आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी।

13. गैर-सहमतिजन्य अंतरंग छवियाँ (एन.सी.आई.आई.) मोटे तौर पर यौन सामग्री को संदर्भित करती है जो उन लोगों की सहमति के बिना वितरित की जाती है जिन्हें उक्त सामग्री में प्रदर्शित किया गया है। यह सामग्री शामिल व्यक्ति की सहमति से ली जा सकती है या नहीं भी हो सकती है, हालांकि, इसका प्रसार काफी हद तक गैर-सहमति वाला है और साइबर-उत्पीड़न के व्यापक दायरे में आता है। इस तरह का वितरण, जिसे बोलचाल की भाषा में "रिवेंज पोर्न" शब्द से जाना जाता है, जो पीड़िता को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाता है और उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अपमान के अधीन करता है जो पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, यह न्यायालय "रिवेंज पोर्न" शब्द का उपयोग करने से परहेज करेगा क्योंकि यह केवल एन.सी.आई.आई. का एक उपसमुच्चय है और एन.सी.आई.आई. में बड़ी संख्या में ऐसे परिदृश्य शामिल हैं जिनमें ऐसी सामग्री वितरित की जा सकती है। वह व्यक्ति जिसकी छवियाँ उनकी सहमति के बिना साझा की जाती हैं, जनता उन्हें उनकी निजता और शारीरिक अखंडता के

उल्लंघन का भागी मानती है। इसके अतिरिक्त, छेड़छाड़ / यौन उत्पीड़न जैसे अपराध से जुड़ी गंभीरता का स्तर एनसीआईआई उत्पीड़न को नहीं दिया जाता है क्योंकि आम जनता को इसके नकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल लगता है इस तथ्य के कारण कि पीड़िता के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि, इस तरह की अवधारणा को जो नजरअंदाज करने की आवश्यकता है वह यह है कि एन.सी.आई.आई. से उत्पीड़ित पीड़ितों को महत्वपूर्ण जीवन व्यवधानों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नौकरी गंवाना, उनके परिवारों द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना, आदि, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को मूल रूप से प्रभावित करता है। वर्ष 2013 में, गैर-सहमति पोर्नोग्राफी (एनसीपी) पर साइबर सिविल अधिकार पहल द्वारा किए गए एक स्व-चयनित अध्ययन में, यह पाया गया कि एनसीआईआई उत्पीड़न के 93% पीड़ितों को प्रमुख सामाजिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, 51% आत्महत्या के विचारों का अनुभव करते हैं, और 82% सामाजिक या व्यावसायिक क्षति का अनुभव करते हैं।

14. एक साथ अग्रसर डिजिटल समुदाय में एनसीआईआई उत्पीड़न के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ यह ध्यान में रखते हुए कि हम वर्तमान में डिजिटल युग में रह रहे हैं जहां इंटरनेट तक पहुंच आसान हो रही है जो बदले में हिंसा के विविध और नए रूपों की ओर ले जा रही है, यह न्यायालय उचित मानता है आईटी अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के चश्मे द्वारा

एनसीआईआई उत्पीड़न का अभ्यास और विश्लेषण करने के साथ-साथ उन भूमिकाओं को तैयार करने के लिए जो मध्यवर्ती, विशेष रूप से सर्च इंजन, न केवल इसके वितरण में, बल्कि इसकी रोकथाम में भी निभाते हैं।

<u>आई.टी. अधिनियम तथा आई.टी. नियम के सम्बन्ध में एन.सी.आई.आई.</u>

15. हालांकि एनसीआईआई को अपने आप में आईटी अधिनियम या उसके तहत नियमों, आईटी नियमों के नियम 3(2)(ख) में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जो एक मध्यवर्ती द्वारा अनुसरण किए जाने वाले शिकायत निवारण तंत्र को निर्धारित करता है, कमोबेश एनसीआईआई को किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित करता है जो प्रथमदृष्टया किसी व्यक्ति के निजी अंगों को उजागर करता है / किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दर्शाता है / या किसी व्यक्ति को किसी भी यौन कृत्य या आचरण में दर्शाता है/इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें कृत्रिम रूप से विकृत चित्र शामिल हैं। प्रावधान को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> ***3(2)(ख).*** *मध्यवर्ती द्वारा, इस उप-नियम के तहत किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति के चौबीस घंटों के भीतर,* ***किसी ऐसी सामग्री के संबंध में जो किसी ऐसी सामग्री की प्रकृति में प्रथमदृष्टया है जो किसी व्यक्ति के निजी अंग को उजागर करती है, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाती है या किसी व्यक्ति को किसी यौन कृत्य या आचरण में दिखाती है या चित्रित करती है,***

या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से विकृत छवियां शामिल हैं, *उसके द्वारा होस्ट की गई, संग्रहीत की गई, प्रकाशित या प्रेषित की गई ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित और व्यावहारिक उपाय किए जाए।*

(जोर दिया गया)

16. हालाँकि, उपरोक्त परिभाषा में सामग्री के निर्माण या सामग्री के प्रसार में सहमति की कमी का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, नियम 3(2)(ख) आरोप लगाने वाला अपराध नहीं है। यह केवल आई.टी. अधिनियम की धारा 66ङ के तहत है कि किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा दी जाती है जो तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो दो लाख से अधिक नहीं हो सकता या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 66ङ को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

*"**66ङ.** एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड - जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में खींचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।*

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पारेषण" से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;

(ख) किसी चित्र के संबंध में "चित्र खींचना" से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिनेत्र बनाना अभिप्रेत है;

(ग) "गुप्तांग" से नग्न या अंत:वस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत है;

(घ) "प्रकाशित करने" से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुनः निर्माण करना और उसे जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ङ) "एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों के अधीन" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि.

(i) वह इस बात की चिंता किए बिना कि उसके गुप्तांग का चित्र खीमा जा रहा है, एकांतता में अपने वस्त्र उतार सकता या उतार सकती है, या

(ii) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में है उसके

गुप्तांग का कोई भाग जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा।"

17. धारा 66ङ के स्पष्टीकरण (क) में स्पष्ट किया गया है कि "प्रेषण" शब्द से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दृश्य छवि को इस आशय से भेजना कि इसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा देखा जाए; स्पष्टीकरण (घ) में कहा गया है कि "प्रकाशित" शब्द से अभिप्रेत है प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनरुत्पादन और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराना; और स्पष्टीकरण (ङ) में कहा गया है कि "निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में" से अभिप्रेत हैं ऐसी परिस्तिथियां जिनमें व्यक्तियों को युक्तियुक्त अपेक्षा है कि वे निजता में वस्त्र उतार सकते हैं या उनके निजी अंग का कोई भी हिस्सा सार्वजानिक रूप से दिखाई नहीं देगा, चाहे वे सार्वजनिक स्थान पर हों या निजी स्थान पर।

18. इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड का प्रावधान है, और उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

*"**67.** अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड -*

जो कोई, इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि

इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जिसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंतर्विष्ट या उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

67क. *कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड -*

तो कोई, किसी ऐसी सामग्री को इनैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करता है या पारेषित करता है या प्रकाशित या पारेषित कराता है, जिनमें कामुकता व्यक्त करने का कार्य या आचरण अंतर्वलित है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

67ख. *कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड -*

जो कोई-

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करेगा, संगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान-प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति में बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ आन-लाइन संबंध के लिए लगाएगा, फुसलाएगा या उत्प्रेरित करेगा, जो कंम्प्यूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) आन-लाइन बालकों का दुरुपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा; या

(ङ) बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलिखित करेगा,

तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:

परन्तु धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेटिंग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रानिक रूप में आकृति पर नहीं है:-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेटिंग, प्रदर्शन वा आकृति, विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जो साबिक परंपरा या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

***67ग**. मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण - (1) मध्यवर्ती ऐसी सूचना का, जो विनिर्दिष्ट की जाए, परिरक्षण और प्रतिधारण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति तथा रूप में करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।*

(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास, जिसकी अवधि तीन

वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।]"

<u>आईटी अधिनियम तथा आईटी नियमों के सम्बन्ध में एनसीआईआई को हटाने में मध्यवर्तियों की भूमिका</u>

19. इंटरनेट पर एन.सी.आई.आई. की उपस्थिति का पता "प्रवर्तकों" से लगाया जा सकता है जो सामग्री को अपलोड करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और एन.सी.आई.आई. का विस्तार और इंटरनेट पर इसके निरंतर अस्तित्व का श्रेय "मध्यवर्तियों" को दिया जा सकता है जो इसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं को इसकी पहुंच प्रदान करते हैं। इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में मध्यवर्तियों की भूमिका को जानने से पूर्व, समझने में सुगमता हेतु आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।

20. आईटी अधिनियम की धारा 2(1)(ण) "डेटा" को मीडिया सहित किसी भी रूप में कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में संसाधित जानकारी के रूप में परिभाषित करती है। आईटी अधिनियम की धारा 2(1)(फ) "सूचना" को डेटा, संदेश, पाठ, चित्र, ध्वनि, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटा बेस या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फिशे को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है और आईटी अधिनियम की खंड 2(1)(ब) किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक

रिकॉर्ड के संबंध में "मध्यवर्ती" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिससे अभिप्रेत है ऐसा जो किसी व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या पारेषित करता है या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइट, ऑनलाइन-नीलामी साइट, ऑनलाइन-मार्किट प्लेसेस और साइबर कैफे शामिल हैं। आईटी नियमों की धारा 2(1)(च) "संचार लिंक" को एक हाइपरटेक्स्ट या ग्राफिकल एलिमेंट और उसी या अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में एक या अधिक वस्तुओं के बीच एक कनेक्शन के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें एक हाइपरलिंक की गई वस्तु पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता को स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के दूसरे छोर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जो कि कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या कोई अन्य वेबसाइट या एप्लिकेशन या ग्राफिकल एलिमेंट हो सकता है।

21. आईटी अधिनियम की धारा 69क केंद्र सरकार की किसी भी कंप्यूटर संसाधन द्वारा से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति को सूचीबद्ध करती है। धारा 69क(3) में उल्लिखित है कि कोई भी मध्यवर्ती जो खंड 69क(1) के तहत निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया

जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसी को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> ***"69क.*** *किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निदेश जारी करने की शक्ति -*
>
> > *(1) जहां केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उपधारा*
> >
> > *(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किमी सूचना को जनता की पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा। (2) यह प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनके अधीन जनता की पहुंच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा, वे होंगे, जो विहित किए जाएं।*
> >
> > *(3) वह मध्यवर्ती जो उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, कारावास से जिसकी*

अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।."

22. एक मध्यवर्ती को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कुछ मामलों में किसी भी दायित्व को वहन करने से छूट दी गई है, जिसे "सुरक्षित आश्रय प्रावधान" के रूप में जाना जाता है। इस प्रावधान में उल्लिखित है कि एक मध्यवर्ती किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रश्नगत मध्यवर्ती से अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित तत्परता का पालन करने और ऐसे अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो केंद्र सरकार उसकी ओर से निर्धारित करे। धारा 79(3) में कहा गया है कि खंड 79 के तहत संरक्षण समाप्त हो जाता है और लागू नहीं होता है यदि मध्यवर्ती ने गैरकानूनी कार्य करने में साजिश रची है या उकसाया है या सहायता की है या प्रेरित किया है, चाहे धमकी या वादे से या अन्यथा, या यदि "वास्तविक ज्ञान" प्राप्त करने पर, या यदि मध्यवर्ती उपयुक्त सरकार या उसके अभिकरण द्वारा किसी भी तरह से साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री को तेजी से हटाने या अक्षम करने में विफल रहता है जो मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में रहने या उससे जुड़े किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है। आईटी अधिनियम की धारा 79 इस प्रकार हैः

*"**79.** कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट -*

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यवर्ती, उसको उपलब्ध कराई गई या परपोषित की गई किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क के लिए दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तभी लागू होंगे, जब-

क) मध्यवर्ती का नृत्य, किसी ऐसी संगूचना प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराने तक सीमित है, जिस पर अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पारेपित की जाती है या अस्थायी रूप से भंडारित की जाती है या परपोषित की जाती है, या

(ख) मध्यवर्ती-

(i) पारेषण आरंभ नहीं करता है,

(ii) पारेषण के अभिग्राही का चयन नहीं करता है, और

(iii) पारेषण में अंतर्विष्ट सूचना का चयन या उपान्तरण नहीं करता है:

(ग) मध्यवर्ती, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् तत्परता का

अनुपालन करता है और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी अनुपालन करता है, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए।

(3) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि-

(क) मध्यवर्ती ने विधिविरुद्ध कार्य करने का षड्यंत्र या दुष्प्रेरण किया है या उसमें सहायता की है या उसके लिए उत्प्रेरित किया है, चाहे धमकी द्वारा या वचन द्वारा या अन्यथा

(ख) वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर या समुचित सरकार अथवा उसके अभिकरण द्वारा यह अधिसूचित किए जाने पर कि मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे सम्बद्ध किसी सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क का उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया जा रहा है. मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुंच को अविम्ब हटाने या उसे निर्योग्य बनाने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य व्यक्ति की सूचना" पद से किसी मध्यवर्ती द्वारा मध्यवर्ती की हैसियत से दी गई सूचना अभिप्रेत है।"

23. आईटी नियमों के संबंध में, आईटी नियमों का नियम 3 महत्वपूर्णता रखता है क्योंकि यह मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले उचित परिश्रम और

शिकायत निवारण तंत्र को निर्धारित करता है जिसे एक मध्यवर्ती द्वारा नियोजित किया जाना है| इस मोड़ पर, यह कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 (*इसके बाद "2022 संशोधन नियम" के रूप में संदर्भित*) के माध्यम से संशोधित किया गया है| इस प्रकार यह न्यायालय संशोधित नियम 3 का उल्लेख करेगा| नियम 3(1)(ख) में कहा गया है कि मध्यवर्ती अपने नियमों व विनियमों, निजता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को उपयोगकर्ता को अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में अपनी पसंद की भाषा में सूचित करेगा और उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर संसाधन से किसी भी जानकारी जो अन्य बातों के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति से जुडी हो को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या साझा ना करने का *उचित प्रयास* करेगा और जिसके लिए उपयोगकर्ता का कोई अधिकार नहीं है, या अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, दूसरे की शारीरिक निजता पर आक्रमक सहित निजता पर आक्रामक, लिंग के आधार पर अपमानजनक या परेशान करना आदि है| यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन से पहले, मध्यवर्ती को केवल उपयोगकर्ता को सूचित करने की आवश्यकता थी कि वह उक्त सामग्री को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट या शेयर न करे, लेकिन संशोधन मध्यवर्ती का दायित्व बढ़ाता है|

24. नियम 3(1)(घ) के पहले परंतुक में यह उल्लेख किया गया है कि नियम 3(1)(घ) में उल्लिखित किसी भी निषिद्ध सूचना के मामले में मध्यवर्ती से अपेक्षा की जाती है कि वह उस सूचना को जितनी जल्दी हो सके हटा दे या उस तक पहुंच को अक्षम कर दे, लेकिन किसी भी मामले में न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के छत्तीस घंटे के बाद या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, जैसा भी मामला हो| इसके अलावा, 2022 के संशोधन नियमों में धारा 3 (1)(ड) को यह बताने के लिए जोड़ा गया है कि मध्यवर्ती उचित परिश्रम, निजता और पारदर्शिता की उचित अपेक्षा के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा और नई सम्मिलित धारा 3(1)(ढ) में कहा गया है कि मध्यवर्ती संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मान करेगा जिसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल हैं|

25. न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी के आदेश के माध्यम से प्रदान की जा रही आपत्तिजनक सूचना के ज्ञान होने के अलावा, नियम 3(2) के तहत आईटी नियम एक उपयोगकर्ता या पीड़ित को नियम 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत अधिकारी से शिकायत करके सीधे मध्यवर्ती से संपर्क करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र पेश करता है जिसे चौबीस घंटे के भीतर शिकायत को स्वीकार करना होता है और फिर उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के

भीतर उसका निपटान करना होता है| 2022 के संशोधन नियमों ने नियम 3(2)(क)(झ) में एक प्रावधान जोड़ा है जिसमें कहा गया है कि यदि शिकायत उपखंड (i), (iv) और (ix) को छोड़कर नियम 3(1)(ख) से संबंधित सूचना या संचार लिंक को हटाने के अनुरोध की प्रकृति की है, तो मध्यवर्ती यथासंभव शीघ्रता से कार्य करेगा और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर इसका समाधान करेगा|

26. नियम 3(2)(ख) और नियम 3(2)(ग) के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से की गई शिकायत की प्राप्ति से चौबीस के भीतर सामग्री के संबंध में *प्रत्यक्षतः* किसी भी सामग्री की प्रकृति में जो ऐसे व्यक्ति के निजी अंग को उजागर करती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाती है या किसी भी यौन कृत्य या आचरण में ऐसे व्यक्ति को दिखाती है या दर्शाती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से विकृत शामिल हैं, मध्यवर्ती को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित और व्यावहारिक उपाय करने की आवश्यकता होती है जो इसके द्वारा संग्रहीत, प्रकाशित या प्रेषित होती हैं| इसके अलावा, मध्यवर्ती को नियम 3(2)(ख) के तहत शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक तंत्र को लागू करने की भी आवश्यकता होती है जो व्यक्ति या व्यक्ति को ऐसी सामग्री या संचार लिंक के संबंध में आवश्यक विवरण प्रदान करने में सक्षम बना सकता है।

27. आई.टी. नियमों के नियम 3 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

3. (1) मध्यवर्ती द्वारा सम्यक् तत्परता का रखा जाना - कोई मध्यवर्ती जिसके अंतर्गत सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती सम्मिलित है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निम्नलिखित सम्यक तत्परता का पालन करेगा, अर्थात् -

(क) मध्यवर्ती यथास्थिति, अपनी वेबसाइट, मोबाईल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपयोक्ता करार को प्रकाशित करेगा;

(ख) मध्यवर्ती के नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति या उपयोक्ता करार कंप्यूटर संसाधित के उपयोक्ता को किसी सूचना को होस्ट नहीं करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे अपलोड नहीं करेंगे, उपांतरित नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे, पारंपित नहीं करेंगे, भंडार नहीं करेंगे, अद्यतन नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो-

(i) किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपयोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है.

(ii) अपमानजनक है, असील है, कामोद्दीपक है, बालयौन शोषण संबंधी है, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाली है, जिसके अंतर्गत शारीरिक निजता, लिंग के आधार पर अपमानजनक या

तंग करने वाली है, निंदाकारी है, मूल वंश या जातीय रूप से आक्षेपकारक है जो धनशोधन या जुआ या उससे संबंधित या बढ़ावा देने वाली है या अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि से असंगत या उसके प्रतिकूल है;

(iii) बालक के लिए हानिप्रद है;

(iv) किसी पेटेट, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार या अन्य सांपातिक अधिकारों का अविलंघन करती है;

(v) पाने वाले को संदेश के उद्भव के संबंध में धोखा देती है या भ्रामक है या जानबूझकर या आशयपूर्वक किसी ऐसी सूचना से संसूचित करती है जो स्पष्ट रूप से मिथ्य या भ्रामक प्रकृति की है किंतु जिसे युक्तियुक्त रूप से एक तथ्य के रूप में देखा जा सकता है।

(vi) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है;

(vii) भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए उद्दीपत करता है या किसी अपराध के अन्वेषण को रोकता है या किसी दूसरे राष्ट्र का अपमान करता है।

(viii) उसमें कोई साफ्टवेयर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर कोड, फाइल या प्रोग्राम अंतर्विष्ट है जिसे

किसी कंप्यूटर संसाधन में व्यवधान डालने, उसे नष्ट करने या उसके कार्य करने को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ix) लागु किए गए किसी कानून का उल्लंघन करती है;

(ग) मध्यवर्ती आवधिक रूप से अपने उपयोक्ताओं को कम से कम वर्ष में एक बार सूचित करेगा कि ऐसे मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार कि अननुपालना की दशा में उसे उपयोक्ताओं की पहुंच के अधिकार या कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग अधिकारों को तुरंत समाप्त करने का या यथास्थिति, अननुपालना सूचना या दोनों को हटाने का अधिकार होगा।

(घ) कोई मध्यवर्ती किसी अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय या समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित किए जाने पर किसी आदेश के रूप में वास्तविक जानकारी की प्राप्ति पर किसी अविधिपूर्ण सूचना को होस्ट नहीं करेगा, भंडार नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत की संप्रभुता और अखंडता राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता; किसी न्यायालय की अवमानना मानहानिः पूर्वोक्त के संबंध में

किसी अपराध के उद्दीपन या किसी सूचना के संबंध में है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है:

> *परंतु समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा किसी सूचना के संबंध में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, भी गई कोई अधिसूचना किसी अभिकरण द्वारा ऐसे जारी की जाएगी जैसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:*
>
> *परंतु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और प्रर्वगों के भीतर स्वैच्छिक आधार पर बंद (ख) के अधीन या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम (2) के प्राप्त शिकायत आधार पर किसी सूचना डाटा या संसूचना या संपर्क पहुंच को हटाना या असमर्थ करना अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।*
>
> *परंतु यह भी कि किसी सूचना, डाटा या संचार संपर्क, जो इस खंड के अधीन सूचना के प्रवर्गों के अधीन विनिर्दिष्ट है, का खंड (ख) के अधीन हटाया जाना स्वैच्छिक आधार पर या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्राप्त शिकायत के आधार पर होगा, या अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किन्हीं शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।*

(ङ) अस्थायी सूचना का अस्थायी या अल्पकालिक या मध्यवर्ती भंडारण जो किसी मध्यवर्ती द्वारा स्वतः उसके नियंत्रण के अधीन किसी कंप्यूटर संसाधन या उस कंप्यूटर संसाधन के अभिन्न अभिलक्षण के रूप में किया जाता है जिसमें किसी मानव का कोई नृत्य करना अंतर्बलित नहीं है जो स्वचालित है जो आगे पारेषण के लिए एल्गोरिदमिक संपादकीय नियंत्रण है या किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन से संपर्क है, खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट सूचना का होस्ट किया जाना, भंडारण किया जाना या प्रकाशन नहीं होगा

(च) मध्यवर्ती अपने उपयोक्ताओं को आवधिक रूप से कम से कम वर्ष में एक बार अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार या यथास्थिति, अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार में किसी परिवर्तन से सूचित करेगा;

(छ) खंड (घ) के अधीन वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर खंड (ख) के अधीन स्वैच्छिक आधार पर उत्तपन या उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त शिकायत के आधार पर जब किसी सूचना को हटाया जाता है या उस तक पहुंच को अशक्त किया जाता है. मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को नष्ट किए बिना ऐसी सूचना और सहबद्ध अभिलेखों का अन्वेषण के प्रयोजनों के एक सौ अस्सी दिन तक या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए परिरक्षण करेगा जैसा कि स्यायालय द्वारा या सरकारी अभिकरणों द्वारा जो विधिपूर्वक प्राधिकृत है, अपेक्षा की जाए;

(ज) जब कोई मध्यवर्ती किसी कंप्यूटर संसाधन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी सूचना का संग्रहण करता है, वह उसकी सूचना को यथास्थिति, रजिस्ट्रेशन के किसी रद्दकरण या प्रतिसंहारण के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए प्रतिधारित करेगा;

(झ) मध्यवर्ती अपने कंप्यूटर संसाधनों और उनमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रिया तथा संवेदनशील वैयक्तिक सूचना) नियम, 2011 में यथाविहित है;

(ञ) मध्यवर्ती यथासंभव शीघ्र किंतु किसी आदेश की प्राप्ति से बहत्तर घंटे के अपश्चात् अपने नियंत्रणाधीन या कब्जे की सूचना को या सहायता को सरकारी अभिकरण को उपलब्ध कराएगा जो विधिपूर्वक पहचान का सत्यापन करने या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या साइबर सुरक्षा घटनाओं, अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, जांच करने या अभियोजन के लिए जांच करने या संरक्षण या साइबर सुरक्षा कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत है:

> *परंतु ऐसा कोई आदेश लिखित में होगा जिसमें स्पष्ट रूप से, यथास्थिति, सूचना या सहायता की बांधा करने का कथन किया जाएगा;*

(ट) मध्यवर्ती जानबूझकर कंप्यूटर संसाधन में तकनीकी संरचना को तैनात या प्रतिस्थापित या उपांतरित नहीं करेगा

या ऐसे किसी कृत्य में पक्षकार नहीं बनेगा जो कंप्यूटर संसाधन के प्रचालन के सामान्य प्रक्रम को, जो उसके द्वारा किए जाना संभावित है, परिवर्तित करे या उसमें परिवर्तित करने का सामर्थ्य हो, जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का परिवंचन हो

> *परंतु मध्यवर्ती कंप्यूटर संसाधन और उसमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकीय साधन विकसित कर सकेगा, उत्पादित कर सकेगा, वितरित कर सकेगा या नियोजित कर सकेगा।*

(ठ) मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्ट करेगा और संबंधित सूचना को भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल और कृत्य और कर्तव्य निष्पादन रीति) नियम, 2013 में उल्लिखित यथाविहित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सूचना को बांटेगा|

ड. मध्यवर्ती को उचित परिश्रम, निजता और पारदर्शिता की उचित उपेक्षा के साथ उपयोगकर्ताओं तक अपनी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करने होंगे|

ढ. मध्यवर्ती संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मन करेगा जिसमे अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल हैं|

(2) मध्यवर्ती का शिकायत निपटान तंत्र:

(क) मध्यवर्ती प्रमुख रूप से अपनी वेबसाइट पर मोबाइल आधारित अनुप्रयोग पर या दोनों पर शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क व्यौरों के साथ उस तंत्र को प्रकाशित करेगा जिसके द्वारा कोई उपयोक्ता या पीड़ित इस नियम 5 के उपबंधों के किसी उल्लंघन को या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत कर सकेगा तथा शिकायत अधिकारी निम्नलिखित के प्रत्यर्थी होगा अर्थात्:-

(i)

बशर्ते कि नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) से संबंधित सूचना या संचार लिंक को हटाने के अनुरोध की प्रकृति की शिकायत, उप-खंड (i), (iv) और (ix) को छोड़कर, यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और ऐसी रिपोर्टिंग के बहत्तर घंटों के भीतर समाधान किया जाएगा;

बशर्ते कि उचित सुरक्षा उपाय विकसित किए जा सकें उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए मध्यवर्ती;

ii) समुचित सरकार, किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश, नोटिस या निदेश की प्राप्ति और अभिस्वीकृति देगा।

(ख) मध्यवर्ती, किसी अन्तर्वस्तु के संबंध में, जो प्रथम दृष्ट्या ऐसी प्रकृति की सामग्री है जो ऐसे व्यष्टि के निजी हिस्से को उद्घाटित करती है, ऐसे व्यष्टि को पूर्णतः या अंशतः नग्न दर्शित करती है अथवा ऐसे व्यष्टि को किसी यौन कृत्य या व्यवहार में दर्शित या चित्रित करती है, अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिरुपण की प्रकृति की है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यष्टि की कृत्रिम रुप से मोर्फड छवियां भी है, इस उप-नियम के अधीन इस निमित्त व्यष्टिक या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर ऐसी अन्तर्वस्तु को हटाने या उस तक पहुंच को असमर्थ बनाने के लिए सभी युक्तियुक्त और व्यवहार्य उपाय करेगा जो इसके द्वारा होस्ट, भंडारित प्रकाशित या संचारित की जाती है:

(ग) मध्यवर्ती इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक क्रियाविधि का कार्यान्वयन करेगा, जो ऐसी अन्तर्वस्तु या संचार लिंक के संबंध में, यथाआवश्यक ब्यौरे ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने में समर्थ बना सके ।

28. आईटी नियमों के नियम 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई मध्यवर्ती नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यवर्ती को प्रदान की गई सुरक्षा दूषित हो जाएगी और मध्यवर्ती आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित किसी भी कानून के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। .

29. आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करने के बाद अब हम मध्यवर्तियों की भूमिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि धारा 2(1)(ब) द्वारा प्रदान की गई "मध्यवर्तियों" की परिभाषा से समझा जा सकता है विभिन्न संस्थाओं के बीच सर्च इंजन भी मध्यवर्तियों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में संचार शासन केंद्र (सीसीजी) द्वारा "एनसीआईआई के प्रसार और पुनर्वितरण से निपटना" पर एक कार्य पत्र में यह देखा गया है कि ऑनलाइन सामग्री के उचित विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्ती कार्यक्षमता में विषमता की मान्यता आवश्यक है| पेपर में कहा गया है कि मध्यवर्तियों की विषम प्रकृति के कारण एनसीआईआई सामग्री को हटाने के लिए एक एकल दृष्टिकोण को अनिवार्य करना अप्रभावी साबित हो सकता है| इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए, पेपर चार अलग-अलग प्रकार के मध्यवर्तियों को परिभाषित करता है:

> "**आईएसपी**: *दूरसंचार सुविधाओं और उपकरणों जैसे मॉडेम और अंतिम-मील कनेक्टिविटी की आपूर्ति करके अपने ग्राहकों को इंटरनेट से कनेक्ट करते है| आईएसपी आमतौर पर अपने नेटवर्क पर प्रेषित डेटा को फ़िल्टर या जांच नहीं करते हैं, न ही वे प्रसारित सामग्री को बदलकर या हटाकर सामग्री में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार, आईएसपी को गैरकानूनी सामग्री की निगरानी और पता लगाने की आवश्यकता होना अव्यावहारिक है। हालांकि, चूंकि वे अपने ग्राहकों की इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वे सरकार या न्यायालय के आदेश*

द्वारा निर्देशित होने पर इंटरनेट पर कुछ स्थानों (यूआरएल) को अवरुद्ध कर सकते हैं। यह प्रभावी रूप से किसी भी आईएसपी के ग्राहकों को यूआरएल तक पहुंचने से रोकता है। यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जब वेबसाइटें गैरकानूनी सामग्री को हटाने से इनकार करती हैं|

तृतीय-पक्ष सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटें: *जबकि कुछ वेबसाइटें अपनी सामग्री (जैसे एक समाचार वेबसाइट) होस्ट करती हैं अन्य वेबसाइटें तीसरे पक्ष (जैसे, सामान्य उपयोगकर्ताओं) को अपनी वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने की अनुमति देती हैं। अंतरवर्ती प्रकार की वेबसाइट एक "मध्यवर्ती" है क्योंकि यह तीसरे पक्ष की सामग्री को होस्ट कर रही है। वेबसाइटें तृतीय-पक्ष सामग्री के हजारों टुकड़ों को होस्ट कर सकती हैं और हमेशा इस बात से अवगत नहीं हो सकती हैं कि वे एनसीआईआई को होस्ट कर रहे हैं| हालांकि, एक उपयोगकर्ता सीधे एक वेबसाइट (एनसीआईआई सामग्री की पहचान) से शिकायत कर सकता है। क्योंकि वेबसाइटें आईएसपी के विपरीत तृतीय-पक्ष सामग्री होस्ट करती हैं, उनके पास स्रोत पर किसी भी गैरकानूनी सामग्री को हटाने की क्षमता है| आईएसपी द्वारा ब्लॉक करने के लिए स्रोत पर हटाना बेहतर है, क्योंकि यह इंटरनेट पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सामग्री को हटाना सुनिश्चित करता है चाहे वे किस आईएसपी का उपयोग करें या वे किस देश से सामग्री तक पहुंचने का प्रयास करें|*

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: *तृतीय-पक्ष सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटों के समान हैं लेकिन उनके आकार और उनके*

उपयोगकर्ताओं द्वारा देखी जाने वाली सामग्री को क्यूरेट करने के प्रयासों से अलग हो सकते हैं (और नहीं देखते हैं)। मध्यवर्ती दिशानिर्देश में यह स्वीकार किया गया है कि भारत में 50 लाख से अधिक ग्राहकों वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जिन्हें 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियां' या "एसएसएमआई" कहा जाता है) गैरकानूनी सामग्री के प्रति बढ़े हुए दायित्वों के अधीन हैं| वेबसाइटों की तरह (लेकिन आईएसपी और सर्च इंजन के विपरीत), एसएसएमआई का अपने प्लेटफार्मों पर तीसरे पक्ष की सामग्री पर नियंत्रण है और यदि आवश्यक हो तो स्रोत पर सामग्री को हटा सकते हैं। इसके अलावा, एसएसएमआई स्वेच्छा से गैरकानूनी सामग्री (एनसीआईआई सहित) का सक्रिय रूप से पता लगाता है क्योंकि यह उनके व्यावसायिक हित में है कि वे अपने प्लेटफार्मों को इस तरह से मुक्त रखें।

सर्च इंजन: स्वयं सामग्री संग्रहीत और संचारित न करें, लेकिन उपयोगकर्ताओं को सामग्री का पता लगाने और उस पर जाने की अनुमति दें। सर्च इंजन इंटरनेट पर वेब-पृष्ठों को 'क्रॉल' करते हैं, इन पृष्ठों पर सामग्री के प्रकार की पहचान करने के लिए कुंजी-शब्द और मेटाडेटा निकालते हैं। सर्च इंजन तब निकाले गए डेटा को 'अनुक्रमित' करते हैं ताकि इसे भविष्य के उपयोग के लिए सुलभ बनाया जा सके। जब कोई उपयोगकर्ता कोई क्वेरी सबमिट करता है, तो सर्च इंजन अपनी अनुक्रमणिका में उन पृष्ठों के खिलाफ क्वेरी से मेल खाता है जिनमें उपयोगकर्ता की क्वेरी के लिए उपयोगी सामग्री होने की संभावना है और उन्हें प्रदर्शित करता है। क्योंकि सर्च इंजन स्वयं इन पृष्ठों पर सामग्री (जैसे एनसीआईआई) होस्ट नहीं करते हैं वे वेबसाइटों पर गैरकानूनी

सामग्री को हटा या निकाल नहीं सकते हैं। इसी कारण से सर्च इंजन एसएसएमआई जैसी गैरकानूनी सामग्री का सक्रिय रूप से पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि, वे विशिष्ट युआरएल 'डी-इंडेक्स' (सर्च इंजन के इंडेक्स से निकालें) कर सकते है। एक बार जब एक वेबपेज डी-इंडेक्स हो जाता है, तो पेज पर ट्रैफ़िक में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि नए उपयोगकर्ता जो पृष्ठ के सटीक यूआरएल को नहीं जानते हैं, उन्हें इंटरनेट पर अरबों वेबपेजों को देखते हुए पृष्ठ मिलने की संभावना नहीं है।"

(ज़ोर दिया गया**)**

30. इस प्रकार, सर्च इंजन स्वयं सामग्री को संग्रहीत और संचारित नहीं करते हैं, वे उपयोगकर्ताओं को सामग्री का पता लगाने और उस तक पहुँचने की अनुमति देते हैं; मूल रूप से, यह व्यक्तियों को इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध प्रासंगिक वेबपेजों को खोजने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए कुंजी-शब्दों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर जिसे *"क्रौलेर्स"* रूप में जाना जाता है, इंटरनेट पर खोजी जा रही सामग्री को खंगालने के लिए उपयोग किया जाता है और क्रौलिंग की यह प्रक्रिया माइक्रो-सेकंड में सामग्री को पुनः प्राप्त करती है जो उपयोगकर्ता के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। पुनर्प्राप्त की जाने वाली सामग्री को एक अनुक्रमणिका में संग्रहीत और व्यवस्थित किया जाता है जो खोजी गई सामग्री का एक डेटाबेस है, जिसे बाद में उपयोगकर्ता द्वारा खोजे जाने पर पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। सर्च इंजन उपयोगकर्ता की क्वेरी को जल्द से जल्द हल करने के लिए सामग्री को प्रासंगिकता के क्रम में

सूचियन करते हैं। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जैसे सर्च इंजन स्वतः सामग्री को होस्ट नहीं करते हैं वे तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म जैसे वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को हटा नहीं सकते हैं। हालांकि, वे विशिष्ट यूआरएल को डीइंडेक्स कर सकते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध अरबों वेबपेजों के कारण उक्त सामग्री को ढूंढना असंभव बना सकते हैं और परिणामस्वरूप, उक्त वेबसाइट पर ट्रैफ़िक को काफी कम कर सकते हैं।

31. हालांकि, सर्च इंजन को सोशल मीडिया मध्यस्थों [नियम 2(1)(ब)] या यहां तक कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) [नियम 2(1)(फ)] के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम नहीं करते हैं, और वे उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं का उपयोग करके सूचना को बनाने, अपलोड, साझा, प्रसारित, संशोधित या एक्सेस करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसएसएमआई के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि, गूगल सर्च जैसे सर्च इंजन ऐसा नहीं होंगा। आईटी नियमों के भाग III पर एमईआईटीवाई द्वारा जारी एफएक्यू 12 में इसे और स्पष्ट किया गया है। एसएसएमआई के दायरे में नहीं आने से, सर्च इंजनों को केवल मध्यस्थों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और उनके दायित्व केवल नियम 3 तक सीमित हैं जो सभी मध्यस्थों पर लागू होता

है और ना की आईटी नियम के नियम 4 जो एसएसएमआई द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उचित का प्रावधान करता है।

32. एक पूर्णरूपेण मध्यवर्ती होने के नाते, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सर्च इंजन नियम 3 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक तत्परता बरतने के लिए बाध्य हैं, जिसमें *युक्तियुक्त प्रयास* करना भी शामिल है जिससे अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को शारीरिक निजता सहित किसी भी ऐसी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने का कारण बनता है जो किसी अन्य की निजता के खिलाफ है, और कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता है| नियम 3(1)(घ) में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के रूप में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर या धारा 79(3)(ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, सर्च इंजन को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उस जानकारी तक पहुंच को हटा देगा या अक्षम कर देगा, परन्तु छत्तीस घंटे से अधिक नहीं| नियम 3(2) के तहत शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी के लिए सर्च इंजन को आपत्तिजनक सामग्री को जितना जल्दी हो सके हटाने और रिपोर्टिंग के बहत्तर घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करने की आवश्यकता होती है। यदि सूचना उस सामग्री से संबंधित है जो *प्रथमदृष्टया* किसी भी

सामग्री की प्रकृति में जो ऐसे व्यक्ति के निजी अंग को उजागर करती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाती है या किसी भी यौन क्रिया या आचरण में ऐसे व्यक्ति को दिखाती है या दर्शाती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से विकृत छवियां शामिल हैं, सर्च इंजन को ऐसी सामग्री जो इसके द्वारा संग्रहीत, प्रकाशित या प्रेषित है उस तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित और व्यावहारिक उपाय करने की आवश्यकता होती है। नियम 3(2)(ग) के तहत विचाराधीन मध्यवर्ती द्वारा ऐसी सामग्री की रिपोर्ट उपयोगकर्ता/पीड़ित द्वारा करने के लिए एक तंत्र भी तैयार किया जाना है।

33. इसमें से किसी के भी उल्लंघन से धारा 79 के तहत प्रदान संरक्षण को वापस ले लिया जाएगा, जैसा कि नियम 7 में कहा गया है| धारा 79, जो द्वितीयक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है और मध्यस्थों को तीसरे पक्ष द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाती है जो प्रकृति में पूर्ण नहीं है| इस संरक्षण का लाभ उठाने के लिए मध्यस्थों को अपने दायित्वों का विधिवत निर्वहन करना अनिवार्य है और आईटी नियमों [धारा 79 (2)(ग) और नियम 7 के अनुसार] का पालन करने में कोई भी चूक इसे दिए गए संरक्षण को छीन सकती है और मध्यस्थों के लिए आसान अभियोजन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

पक्षकारों की दलीलें

न्यायमित्र की ओर से प्रस्तुतियाँ

34. श्री सौरभ किरपाल, विद्वान *न्यायमित्र* सरकार ने इस न्यायालय के दिनांक 08.11.2021 के आदेश के अनुसरण में एक संक्षिप्त नोट प्रदान किया है जिसके तहत यह सहायता मांगी गई थी और उनके द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:-

क. लागू कानून प्रश्नगत मध्यस्थों को आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए बाध्य करता है जो न केवल उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट यूआरएल तक सीमित है, बल्कि आईटी अधिनियम की धारा 79 (3)(ख) के तहत मंच से सभी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए बाध्य करता है। उनका कहना है कि धारा 79 के तहत यह सुरक्षा का प्रावधान मध्यस्थों के लिए केवल तब तक उपलब्ध है जब तक कि वे धारा 79(3)(ख) के तहत अपने कानूनी दायित्वों का पालन करते हैं।

ख. धारा 79(3)(ख) में कहा गया है कि मध्यवर्ती को दिया गया दायित्व विशेष यूआरएल में सामग्री को हटाने से परे है और इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो न्यायिक आदेश द्वारा गैरकानूनी पाई जाती है।

कोई भी सीमा क़ानून और उसके उद्देश्य को निष्फल बना देगी, और इस प्रकार, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ग. आईटी नियमों के नियम 3 में मध्यस्थों द्वारा सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है जिसके साथ नियम 3(1)(ख) के साथ उस सामग्री को सूचीबद्ध किया गया है जिसे गैरकानूनी माना जाता है जिसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है और जिसके लिए उपयोगकर्ता का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसी सामग्री जो किसी अन्य की निजता (शारीरिक निजता सहित) का उल्लंघन करती है। नियम 3(1)(घ) मध्यवर्ती को न्यायालय के आदेश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के छत्तीस घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने का आदेश देता है। न्यायालय के आदेश या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अलावा, नियम 3(2)(ख) में मध्यस्थों को आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।

घ. <u>श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ</u> (उपरोक्त) का "वास्तविक ज्ञान" के संबंध में अनुपात को मध्यस्थों को न्यायालय आदेश के संप्रेषण के रूप में समझा जाना इस मामले में लागू नहीं होता है चूँकि यहां न्यायालय ने सामग्री की अवैधता पर पहले ही निर्णय ले लिया है और

यह कि नियम 3(2)(ख) जो उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था।

ङ. इस न्यायालय का निर्णय X v. भारत संघ (उपरोक्त) ने इसी तरह के एक मामले में प्रत्यर्थी-मध्यस्थों को पहले ही निर्देश दिया था कि वे आईटी नियमों के नियम 3(2)(ख) के अनुसार चौबीस घंटे के भीतर सामग्री को हटा दें और साथ ही स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके सक्रिय निगरानी को नियोजित करने का प्रयास करें, ताकि किसी भी सामग्री की पहचान की जा सके और उसे हटाया जा सके या उस तक पहुंच को अक्षम किया जा सके जो न्यायालय आदेश की विषय वस्तु के "बिलकुल समान" है। इस न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि न्यायालय के आदेश को भारत में प्रभावी होने के लिए, सामग्री को विश्व स्तर पर मध्यवर्ती द्वारा अवरुद्ध करना होगा।

च. सर्वोच्च न्यायालय का साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ, **(2018) 3 एससीसी 229** में निर्णय पर भरोसा इस मामले में यह बताने हेतु किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्च इंजनों को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सूचित किए जाने के 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था| इस मामले में दिनांक 16.02.2017

का आदेश सर्च इंजनों को भारतीय कानून के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए पारित किया गया था।

छ. उत्तरदाता मध्यवर्ती बहु-अरब डॉलर की संस्थाएं हैं जिनके पास एनसीआईआई सामग्री को हटाने के लिए आवश्यक उपकरण का विकास करने के लिए विशाल तकनीकी और आर्थिक संसाधन हैं। इसके अलावा, कॉपीराइट उल्लंघन और बाल पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए मौजूदा उपकरण हैं जिन्हें एनसीआईआई दुरुपयोग को कम करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इसे रिकॉर्ड करने वाले संक्षित नोट के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"21. अवैध सामग्री को पूरी तरह से हटाने का कानूनी दायित्व और न केवल यूआरएल को हटाने का दायित्व स्थापित किया गया है, इस तरह के दायित्व का पालन करने के लिए उपलब्ध उपकरण एक महत्वपूर्ण विचार हैं। प्रत्यर्थी मध्यवर्ती कई अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय संगुट हैं जिनके पास उपकरण विकसित करने और वर्तमान कार्यवाही में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए विशाल तकनीकी और आर्थिक संसाधन हैं। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और प्रत्यर्थी मध्यस्थों की नीतियों के अनुसार कि सामग्री का पता लगाने वाले उपकरणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) उल्लंघन और बाल पोर्नोग्राफी को रोकना शामिल है। वर्तमान में उपयोग किए*

जाने वाले तरीकों या उपकरणों को मुख्य रूप से (I.) ऑडियो-वीडियो ब्लॉकिंग में विभाजित किया जा सकता है; (II.) छवि से कोड रूपांतरण; और (III.) कीवर्ड सर्च|

I. ऑडियो-वीडियो ब्लॉकिंग

22. प्रत्यर्थी सं.5/यूट्यूब, जो मुख्य रूप से एक ऑडियो-वीडियो प्लेटफॉर्म है जो *अपने द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री को अन्य बातों के साथ-साथ कॉपीराइट उल्लंघन के लिए नियंत्रित करता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा कोई उल्लंघन न हो। प्रत्यर्थी सं. 5|यूट्यूब ने अपनी 'कंटेंट आईडी' प्रणाली को तैनात किया। इस प्रणाली के तहत, कॉपीराइट मालिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किए गए सभी वीडियो की तुलना में एक स्वचालित प्रणाली द्वारा है। इस प्रणाली का उपयोग कॉपीराइट मालिकों द्वारा उल्लंघन करने वाली सामग्री की पहचान करने के लिए किया जाता है और प्लेटफ़ॉर्म को उस पर से सामग्री हटाने के लिए बाध्य है| [संद- अनुलग्नक छ, पृष्ठ 346]*,

23. इस तंत्र का उपयोग कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाले वीडियो को अंकित करने और पहचानने के लिए किया जाता है। स्मार्ट तकनीक का उपयोग अपलोड किए गए वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहचान करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं [संद-अनुलग्नक छ, पृष्ठ 348)\| एक

बार जब इन वीडियो और ऑडियो को प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब द्वारा अंकित किया जाता है तो इसके पास अन्य बातों के साथ-साथ, दुनिया भर में या कुछ देशों/क्षेत्रों [संद- अनुलग्नक छ, पृष्ठ 348] में सामग्री को अवरुद्ध करने का विकल्प होता है| इसलिए, ऑडियो-वीडियो रूप में आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने और इसकी पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उपकरण प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब के पास मौजूद हैं|

यूट्यूब की सामग्री आईडी प्रणाली की असल प्रति यहां अनुलग्नक छ [पृष्ठ 346 से 348] के रूप में संलग्न है|

24. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब का 'सीएसएआई (बाल यौन शोषण इमेजरी) मैच' सीएसएआई मैच सामग्री का ऑनलाइन प्रतिरोध करने के लिए इसकी मालिकाना तकनीक है। यह तकनीक इसे अहानिकर सामग्री के समुद्र में ज्ञात सीएसएआई सामग्री की पहचान करने की अनुमति देती है। जब सीएसएआई सामग्री का मिलान पाया जाता है, तो इसे स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए अंकित किया जाता है| [संद-अनुलग्नक ज, पृष्ठ 349]

यूट्यूब की सीएसएआई मैच नीति की असल प्रति यहां अनुलग्नक ज [पृष्ठ 349 से 353] के रूप में संलग्न है|

25. पूरे प्लेटफ़ॉर्म में विशिष्ट वीडियो की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी के अस्तित्व को देखते हुए इसे शीर्ष मामले में वीडियो की पहचान करने के लिए तैनात किया जा सकता है। उपरोक्त के समान तकनीक का उपयोग किया जा सकता है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब और अन्य ऑडियो-वीडियो आधारित मध्यवर्ती जो संबंधित सामग्री को होस्ट करते हैं, इसे पहचान सकते हैं और फ्लैग कर सकते हैं, और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकते हैं कि सामग्री इन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध ना हो।

II. छवि से कोड रूपांतरण

26. प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल ने बाल यौन शोषण सामग्री ('सीएसएएम') के खिलाफ अपनी नीति में अन्य बातों के साथ कहा है कि एआई की मदद से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी तैनात करता है कि ऐसी कोई भी सामग्री इंटरनेट पर आसानी से प्राप्त न हो। प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल अपने प्लेटफार्मों से सीएसएएम को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसमें अपने प्लेटफार्मों पर सीएसएएम का पता लगाने, हटाने और रिपोर्ट करने के लिए स्वचालित पहचान और मानव समीक्षा शामिल है। यह सीएसएएम का पता लगाने के लिए प्रत्यर्थी सं. 5/ यूट्यूब के सीएसएएम मैच सहित हैश मिलान को तैनात करता है।

27. प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल अन्य बातों के साथ-साथ हैश-मिलान तकनीक के साथ सीएसएएम की पहचान और रिपोर्ट करता है जो किसी छवि या वीडियो के लिए 'हैश' कोड या विशिष्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है ताकि इसकी तुलना ज्ञात सीएसएएम के हैश के साथ की जा सके। जब यह सीएसएएम पाता है, तो यह इसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ('एनसीएमईसी') को रिपोर्ट करता है जो दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क करता है प्रत्यर्थी सं.3/गूगल नए सीएसएएम की पहचान करता है जो सामग्री का एक हैश कोड बना सकता है और इसे अपने आंतरिक संग्रह में जोड़ सकता है। हैशिंग तकनीक प्रत्यर्थी सं.3/गूगल को पहले से पहचाने गए सीएसएएम को संग्रह से तुलना करके खोजने और इसे प्लेटफॉर्म से हटाने की अनुमति देती है [संदर्भ अनुबंध झ, पृष्ठ 355]।

गूगल की सीएसएएम नीति की असल प्रति यहां अनुलग्नक [पृष्ठ 354 से 364] के रूप में संलग्न है।

28. यह तकनीक वीडियो सामग्री पर भी लागू होती है। प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब का सीएसएएम मैच 'फिंगरप्रिंटर' में वीडियो की एक फिंगरप्रिंट फ़ाइल बनाने की क्षमता है, एक डिजिटल आईडी जो विशिष्ट रूप से वीडियो फ़ाइल की सामग्री को दर्शाती है। इसके बाद इसकी तुलना प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब के फिंगरप्रिंट संग्रह से की जाती है। संग्रह में प्रत्यर्थी सं. 5/यूट्यूब और प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल

द्वारा पता लगाई गई ज्ञात अपमानजनक सामग्री के फिंगरप्रिंट शामिल हैं। एक बार सामग्री की समीक्षा करने और आपत्तिजनक के रूप में पहचाने जाने के बाद, इसे स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार हटाया जा सकता है [संदर्भ अनुलग्नक, पृष्ठ 353]।

29. *यह तकनीक, जिसका उपयोग पहले से ही सीएसएएम सामग्री को ऑनलाइन पहचानने और हटाने के लिए किया जा रहा है का उपयोग उसी पहचान एल्गोरिथ्म का उपयोग करके शीर्ष मामले में छवियों और/या वीडियो की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। एक बार सामग्री की पहचान हो जाने के बाद, इसे सभी प्लेटफार्मों से हटाया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सभी व्यक्तियों के लिए दुर्गम हो जाए।*

30. *इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल भी चेहरे की डिजिटल छवि बनाने वाले आकृतियों और रंगों के सामान्य पैटर्न को पहचानने के लिए पैटर्न और चेहरा पहचान टूल तैनात करता है [संदर्भ अनुलग्नक ञ, पृष्ठ 365]। इसलिए, चूंकि प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल के पास उनके पैटर्न के आधार पर छवियों का पता लगाने की तकनीक है, इसलिए उसी तकनीक का उपयोग याचिकाकर्ता की छवियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, ताकि उन्हें फ्लैग करके इंटरनेट से हटाया जा सके।*

प्रत्यर्थी सं. 3/गूगल की पैटर्न मान्यता नीति की असल प्रति इसके साथ अनुलग्नक ञ [पृष्ठ 365 से 366] के रूप में संलग्न है।

III. कीवर्ड सर्चेज

*31. प्रत्यर्थी सं. 3/*गूगल*, एक सर्च इंजन के रूप में तीन चरणों में कार्य करता है; सबसे पहले, यह लगातार क्रॉलर नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर सर्च करता है। क्रॉलिंग एक सर्च प्रक्रिया है जिसके तहत प्रत्यर्थी सं.3/गूगल इंटरनेट पर नए और अपडेट किए गए वेबपेजों को खोजने के लिए प्रौद्योगिकी (क्रॉलर) का उपयोग करता है। एक बार नए वेबपेजों की खोज होने के बाद, क्रॉलर नए यूआरएल खोजने के लिए उन खोजे गए वेबपेजों पर दिए गए लिंक का पालन करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी नए युआरएल की खोज नहीं हो जाती| दूसरा, एक बार जब कोई नया या अपडेट किया गया यूआरएल मिल जाता है। प्रत्यर्थी सं. 3/*गूगल इसे अपने सूचकांक में जोड़ता है, जो सर्च किए गए यूआरएल का एक विशाल डेटाबेस है। इस चरण को इंडेक्सिंग कहा जाता है। तीसरा, जब सर्च तीसरा, जब एक सर्च की जाती है बाद में सर्च इंजन पर आयोजित हो जाता है, यूआरएल को इस सूचकांक से खोजे गए शब्दों, स्थान, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं आदि के आधार पर पुनर्प्राप्त किया जाता है, और सर्वोत्तम मिलान प्रदर्शित*

किए जाते हैं [संदर्भ। संलग्नक के, पृष्ठ. 367, 369]। अनिवार्य रूप से, जब कोई उपयोगकर्ता प्रत्यर्थी सं.3/गूगल पर खोज करता है, तो वे लाइव वेब पर खोज नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वे वेब के प्रत्यर्थी सं.3/गूगल के इंडेक्स को खोजते हैं, जिसे यह नियमित रूप से क्रोलिंग और इंडेक्सिंग द्वारा से अपडेट करता है। इसलिए, प्रत्यर्थी सं.3/गूगल अपनी प्रकृति और वास्तुकला द्वारा, ऐसी सामग्री का पता लगाने और अवरुद्ध करने की योग्यता रखता है जिसे गैरकानूनी और उतारने के अधीन माना जाता है। 'गूगल सर्च कैसे काम करता है' की वास्तविक प्रतिलिपि डेवलपर्स.गूगल.कॉम पर उपलब्ध है। इसको इसके साथ संलग्नक- ट के रूप में संलग्न किया गया है। [पृष्ठ 367 से 372]।

32. प्रत्यर्थी सं.3/गूगल, नीति के मामले के रूप में, अपने सर्च इंजन पर कुछ प्रमुख शब्दों की खोज को प्रतिबंधित करने के लिए उपकरणों को तैनात करता है। यह उन खोज परिणामों को अवरुद्ध करता है जो बाल यौन दुरुपयोग इमेजरी या ऐसी सामग्री की ओर ले जाते हैं जो बच्चों को यौन रूप से पीड़ित, खतरे में डालने या अन्यथा दुरुपयोग करने वाली प्रतीत होती है। प्रत्यर्थी सं.3/गूगल इन विकसित खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने एल्गोरिदम को लगातार अपडेट करता है और उन खोजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लागू करता है जिन्हें वह समझता है कि वे सीएसएएम् सामग्री की मांग कर रहे हैं। यदि खोज क्वेरी सीएसएएम की मांग करती प्रतीत होती है, तो यह स्पष्ट यौन परिणामों को फ़िल्टर करता है, और वयस्क स्पष्ट

सामग्री की मांग करने वाले प्रश्नों के लिए, सर्च बच्चों और यौन सामग्री के बीच संबंध को तोड़ने के लिए, बच्चों को शामिल करने वाली छवियों को वापस नहीं करेगी। कई देशों (भारत सहित) में, जो उपयोगकर्ता सीएसएएम से स्पष्ट रूप से संबंधित प्रश्न दर्ज करते हैं, उन्हें इस सामग्री की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में जानकारी के साथ एक प्रमुख चेतावनी दिखाई जाती है कि बाल यौन दुरुपयोग इमेजरी अवैध है। मुख्य शब्द पर प्रत्यर्थी सं.3/गूगल की नीति की वास्तविक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्नक- ठ के रूप में संलग्न किया गया है। [पृष्ठ 372]।

33. इसके अतिरिक्त, साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017) 2 एससीसी 516 (2) के मामले में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'ऑटो ब्लॉक के सिद्धांत' का प्रतिपादन किया, जिसमें मध्यस्थों को उनके प्लेटफार्मों पर खोज परिणामों से शब्दों की प्रस्तावित सूची को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था। [संलग्नक एम, पीजी। 381, पैरा 9, पृ. 382 पैरा 10]।] न्यायालय ने कहा कि जब ऐसे शब्दों को सर्च इंजनों पर खोजा जाता है, तो परिणाम एक चेतावनी के साथ 'स्वतः अवरुद्ध' हो जाएंगे और इंटरनेट पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह लागू कानूनों के तहत निषिद्ध है। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है;

> *"9. इस मोड़ पर विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने कहा कि उन्हें आज केवल शब्दों की प्रस्तावित सूची के बारे में सूचित किया गया है, जिसके संबंध में जब आदेश दिए जाएंगे, तो चेतावनी के साथ "ऑटो ब्लॉक" होगा*

और इंटरनेट पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह भारत में निषिद्ध है। हम सोचते हैं कि उक्त "शब्दों की प्रस्तावित सूची" को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।यह नीचे लिखा है;

** * * **

10. इस मोके पर विद्वान अधिवक्ता श्री सीए सुंदरम, के.वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अनुपम लाई दास, विद्वान अधिवक्ता, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (1) (पी) लिमिटेड और याहू! इंडिया की ओर से उपस्थिति क्रमशः यह प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त शब्दों के अलावा, यदि कोई किसी भी प्रकार की सरलता का सहारा लेना, कुछ शब्दों का डालता है और कुछ ऐसा जो अधिनियम के तहत निषिद्ध है, अस्तित्व में आता है, "ऑटो ब्लॉक का सिद्धांत" तुरंत लागू किया जाएगा और इसे नहीं दिखाया जाएगा। सर्च इंजनों/मध्यस्थों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वे ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब यह उनके संज्ञान में लाया जाए- राय मानी जाए तो, वे यह देखने के लिए बाध्य हैं कि "ऑटो ब्लॉक के सिद्धांत" को उचित अवधि के भीतर लागू किया जाए। इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि एक बार उनके ध्यान में लाए जाने के बाद, वे आवश्यक कार्य करेंगे। इस बात पर अधिक जोर दिया जाने की जरुरत नहीं है कि यह कंपनियों द्वारा शुरू की जाने वाली एक आंतरिक

प्रक्रिया/विधि होनी चाहिए, और हम ऐसा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।"(जोर दिया गया)"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017) 2 एस. सी. सी. 516 (2) मामले में पारित दिनांक 19.09.2016 के आदेश की वास्तविक प्रति संलग्नक ड [पी. जी.] के रूप में संलग्न है।[पृष्ठ 374 से 387]।

34. वर्तमान मामले में, इस माननीय न्यायालय के आदेशों को हटाने के लिए विवादित यू. आर. एल. में पीड़ित का नाम जैसे प्रमुख शब्द निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। मध्यस्थों को इसके बाद सक्रिय रूप से विभिन्न यूआरएल में निहित सामग्री को हटाना चाहिए जो आक्षेपित यूआरएल के जैसा या हुबहू है, और प्रत्यर्थी नंबर. 3/गूगल की सर्च शब्द खोज नीति और साबू मैथ्यू जॉर्ज (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में ऐसे खोज परिणामों को अवरुद्ध करना चाहिए।"

<u>गूगल एल. एल. सी. की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

35. गूगल एल. एल. सी और यूट्यूब के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद निगम, अर्थात प्रत्यर्थी संख्या. 3 और 5 ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

क. शुरुआत में, गूगल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कार्रवाई की गई है कि आपत्तिजनक सामग्री उसके सूचकांक में न रहे और पुनः अपलोड को अक्षम किया जा रहा है और यूट्यूब पर गलत चैनलों को

हटा दिया जा रहा है। गूगल सर्च ,गूगल एल. सी. सी. का सर्च इंजन, किसी भी सामग्री को होस्ट या प्रकाशित नहीं करता है या उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, और यह केवल अपनी वेबसाइटों/प्लेटफार्मों पर तीसरे पक्षकर द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को अनुक्रमित करता है। इसे विशेष रूप से आईटी अधिनियम की 2 (1) (जेडए) के तहत एक "प्रवर्तक" की परिभाषा बाहर रखा गया है जो वह व्यक्ति है जो प्रेषित किए जा रहे डेटा को उत्पन्न करता है। यह एक पुस्तकालय सूची के समान है जिसमें अपनी कोई जानकारी नहीं है लेकिन केवल एक शेल्फ पर एक विशेष पुस्तक के स्थान की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, गूगल के टेक्स्ट-आधारित खोज परिणामों के विपरीत, छवि-आधारित खोज परिणामों को पहचानना और पुनः प्राप्त करना अधिक कठिन होता है और इसमें जटिल सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम शामिल होते हैं जो एक छवि के बारे में जानकारी के साथ-साथ अन्य जानकारी का उपयोग स्वचालित तरीके से उपयोगकर्ता के प्रश्नों से छवियों का मिलान करने के लिए करते हैं। इस प्रकार, केवल खोज इंजनों को निर्देश देना व्यर्थ है न कि तीसरे पक्ष की वेबसाइटों को जो एन. सी. आई. आई. सामग्री के प्राथमिक स्रोत हैं।

ख. जैसा कि आईटी नियमों की धारा 2 (1) (च) सचेत रूप से एक संचार लिंक को एक यूआरएल या हाइपरलिंक के रूप में परिभाषित करती है और जब इसे आईटी अधिनियम की धारा 79 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा

जाता है, तो यह यूआरएल विशिष्ट रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विधायी इरादे को इंगित करता है। भरोसा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) पर यह प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिचौलियें मध्यस्थ नहीं हो सकते हैं और उनसे तीसरे पक्षकर के अधिकारों पर निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह केवल वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर ही है कि एक न्यायालय का आदेश पारित किया गया है जिसमें इसे कुछ लिंक तक पहुंच को तेजी से हटाने या अक्षम करने के लिए कहा गया है जो बिचौलिय को ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा, यहां तक कि न्यायालय के आदेश और/या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचना को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 (2) में विशेष रूप से निर्धारित आधारों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

ग. विधायिका का कभी भी कार्य करने का इरादा नहीं रहा है कि "उचित परिश्रम" की आड़ में सामग्री की पुलिसिंग और निगरानी करने वाले मध्यस्थों और नियम 3 (1) (घ) इस बात की पुष्टि करता है कि एक मध्यस्थ को न्यायालय के आदेश या सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर ही सामग्री को हटाना चाहिए। यह कार्यपालिका द्वारा दिनांक 01.11.2021 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि मध्यस्थ को अधिकारियों के बीच संचार में "मंच विशिष्ट

पहचाने गए यूआरएल" और "औचित्य और साक्ष्य" शामिल होने चाहिए। इस प्रकार, सामग्री को अक्षम करने के लिए आदेश विशिष्ट यूआरएल होना चाहिए और मध्यस्थों से इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए असीमित सामग्री द्वारा से सक्रिय रूप से छानने की उम्मीद नहीं की जाती है; उनकी भूमिका तटस्थ और प्रतिक्रियाशील नहीं होनी चाहिए [मुस्कान जट्टाना बनाम भारत संघ, **रि.या.(आप.) 2021 का 956** का संदर्भ लें। और वंदना पाल बनाम भारत संघ, **रि.या.(आप.) 1669/2021**] इसके अलावा, सक्रिय निगरानी से मध्यस्थ धारा 79 के तहत प्रदान की गई प्रतिरक्षा/सुरक्षित शरण सुरक्षा खो देगा। इसके अलावा, यह न्यायालय अंचित चावला बनाम गूगल इंडिया, रि.या. (सि) 13921/2018, में मान्यता दी है कि केवल सर्च इंजनों के खिलाफ आदेश निरर्थक हैं, और सामग्री के समग्र हटाने को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक प्रकाशकों के खिलाफ निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन सामग्री की वैधता का निर्णय लेने के लिए मध्यस्थों को अपने दिमाग को लागू करने की अनुमति देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट आएगी, ओवर-ब्लॉकिंग के साथ-साथ तीसरे पक्षों के ऑनलाइन भाषण के मौलिक अधिकार को दरकिनार किया जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं की निजता के अधिकार को भी कमजोर करेगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है, जिनके व्यक्तिगत या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा / जानकारी में हस्तक्षेप किया जाएगा, और यह सर्वोच्च न्यायालय के

विभिन्न निर्णयों के खिलाफ जाएगा जहां व्यापक आदेश या सामग्री की पूर्व-सेंसरशिप को अवैध माना गया था।

घ. साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) पर भरोसा गलत है क्योंकि उसमें दिए गए निर्देश "गूगल विज्ञापनों" को दिए गए थे जो गूगल सर्च से पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा, मध्यस्थों को सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक नोडल एजेंसी के गठन के लिए निर्देश दिए गए थे, जो तब उसी पर कार्य करने के लिए बाध्य थे। यहां तक कि उक्त मामले में दिनांक 13.04.2017 के आदेश में कहा गया है कि सूचना और ज्ञान की पहुंच में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और यह कि एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों, जैसे कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, **(2020) 3 एस. सी. सी. 637**, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंटरनेट पर भाषण को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी निर्देश आनुपातिक होना चाहिए और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय को नियोजित करने की आवश्यकता है।

ड. आईटी नियम नियम 3 (2) के तहत प्रथमदृष्टया यौन स्पष्ट सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। नियम 3 (2) (सी) स्पष्ट करता है कि शिकायतों की प्राप्ति के लिए तंत्र को विशिष्ट संचार लिंक के विवरण के प्रावधान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, मध्यस्थों को सामग्री को सक्रिय रूप से फ़िल्टर करने और हटाने का

निर्देश देना आईटी नियमों के दायरे से बाहर है और इसमें मध्यस्थों पर अतिरिक्त या असाधारण जिम्मेदारी डालना शामिल है। एक मध्यस्थ के दायित्वों में अंतर, जो कि एक सर्च इंजन है, और एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (एसएसएमआई) जिसके कर्तव्यों को नियम 4 के तहत गिना जाता है, यह दर्शाता है कि एक मध्यस्थ की ओर से सक्रिय फ़िल्टरिंग की अनुपस्थिति में विधायिका द्वारा लिया गया एक सुविचारित निर्णय था। यहां तक कि नियम 4 भी स्वचालित उपकरणों को तैनात करने के लिए एक एस. एस. एम. आई. पर कोई अनिवार्य दायित्व नहीं डालता है और किसी भी उपाय को अपनाने की दिशा में केवल एक प्रयास किया जाना है।

च. सामग्री को हटाने के लिए उपकरणों के अनुप्रयोग पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः में चर्चा की गई है प्रजवाला पत्र दिनांक 18.02.2015 यौन हिंसा और सिफारिशों के वीडियो, ए.एम.डव्लू (आप.) सं. 2015 का 3, लेकिन यह बाल यौन दुरुपयोग सामग्री (सी. एस. ए. एम.) तक सीमित है। भारत ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही रिपोर्टों के साथ सीएसएएम सामग्री के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लापता और शोषित बच्चों के केंद्र (एनसीएमईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएसएएम सामग्री को रोकने के उद्देश्यों के लिए, हैश-मैचिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों द्वारा से स्वचालित फ्लैगिंग गूगल को

अपनी नीतियों और नियमों को लागू करने के लिए जल्दी और सटीक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। हालांकि, "एक बाल विषय के साथ स्पष्ट सामग्री" के विषय पर एक छवि के एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग) उपकरण द्वारा संज्ञान सीएसएएम का मुकाबला करने के लिए उपयोगी है, लेकिन "एक वयस्क महिला विषय के साथ स्पष्ट सामग्री" का समान निर्धारण एनसीआईआई की पहचान करने में किसी भी तरह से उपयोगी साबित नहीं हो सकता है। "सहमति" का कारक जो एन. सी. आई. आई. के वर्गीकरण के लिए एक आवश्यक घटक है, स्वचालित उपकरणों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है।

छ. अन्य स्वचालित उपकरण जैसे पैटर्न पहचान या एवी मिलान सीमित उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाते हैं और इस प्रकार, उन्हें बिना किसी सहमति या अनुमति के किसी अन्य वेबसाइटें पर तीसरे पक्ष की सामग्री पर अंधाधुंध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उनकी अत्यधिक तकनीकी सीमाएँ और प्रतिकूल परिणाम हैं विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस्तेमाल पर। चूँकि वे सामग्री के बीच प्रभावी रूप से अंतर नहीं कर सकते हैं और वे "सभी या कुछ भी नहीं" ढांचे में काम करते हैं, इस बात की संभावना मौजूद है कि वे वैध और वास्तविक सामग्री को खतरे में डाल सकते हैं और हटा सकते हैं।

ज. सीएसएएम के विपरीत, जो स्पष्ट रूप से और सार्वभौमिक रूप से अवैध है एनसीआईआई सामग्री उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें इसे लिया गया है या साझा किया गया है। सामग्री को फिर से प्रकट होने से रोकने के लिए गूगल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, ऐसी कई सामग्री को आसानी से संशोधित किया जा सकता है और इस प्रकार, पता लगने से बचा जा सकता है। खोज इंजनों द्वारा तैयार किया गया सूचकांक केवल "पृष्ठ पर मुख्य शब्द" + यू. आर. एल. है। कंप्यूटर यह तय करने के लिए इस जानकारी की गुणात्मक रूप से समीक्षा नहीं कर सकता है कि यह संबंधित विषय से संबंधित है या नहीं। इस तरह की सामग्री की समीक्षा करने का कोई भी आदेश प्लेटफार्मों की प्रभावकारिता को नष्ट कर देगा और ऑनलाइन सेवाओं के वितरण को पंगु बना देगा। कानून के तहत सर्च इंजनों के लिए कोई भी फिल्टर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है।

झ. गूगल सर्च के लिए रिपोर्टिंग तंत्र एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रदान किया गया है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"30. मैं कहता हूं कि गूगल सर्च के समर्थन पृष्ठों और रिपोर्टिंग तंत्र को इस माननीय न्यायालय के तैयार संदर्भ के लिए नीचे संक्षेप में संलग्न किया गया हैः*
>
> > *i. गूगल सर्च इंजन गैर-सहमति स्पष्ट छवियों (एनसीईआई) के संबंध में एक विस्तृत तंत्र प्रदान करता है जिसे पर समझाया गया है और यूआरएल पर एक्सेस किया जा*

सकता है। https://support.google.com/websearch/answer/6302812? hl = en;

ii. विशिष्ट रिपोर्टिंग तंत्र यूआरएल उपलब्ध है https://support.google./websearch/troubleshooter/9685456#ts = 28 89054% 2C2889099, ताकि संबंधित टीम लागू नीतियों के अनुसार समीक्षा कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सके। इसमें "डोक्सिंग", अर्थात के लिए रिपोर्टिंग सामग्री भी शामिल है। नुकसान पहुँचाने के इरादे से किसी व्यक्ति के संपर्क विवरण को प्रकाशित करने का कार्य;

iii.विशेष रूप से, उपरोक्त के अलावा, भारत में उपयोगकर्ता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबफॉर्म यूआरएल का उपयोग कर सकते हैं। https://support.google.com/legal/contact/lr_ idmec पर किसी व्यक्ति के बारे में नग्नता या ग्राफिक यौन सामग्री को हटाने की मांग के लिए, और अनुरोध पर, गूगल इन URL को डी-इंडेक्स कर सकता है जिससे गूगल सर्च परिणामों से ऐसी सामग्री को हटा दिया जा सकता है। यह आईटी नियम 2021 के नियम 3 (2) (ख) के अनुसार है।.

iv.इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के लिए विशिष्ट सहायता केंद्र लेख सार्वजनिक रूप से यूआरएल https://support.google.com/websearch/answer/3143948; पर उपलब्ध है।

v. चूंकि गूगल को किसी भी सामग्री की पहचान करने के लिए विशिष्ट यूआरएल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विशिष्ट यूआरएलएस की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तृत समर्थन पृष्ठ भी प्रदान करता है। जो रेगन-1 https://support.google.com/webmasters/answer/63758 पर उपलब्ध है।

vi. इसके अलावा, यदि वेबपृष्ठों पर सामग्री बदल गई है तो उपयोगकर्ता/वेबमास्टर वेबपृष्ठों को फिर से क्रॉल करने की मांग कर सकते हैं।इसके लिए, गूगल पुरानी जानकारी को तेजी से हटाने के लिए एक वेबफॉर्म प्रदान करता है, जो यूआरएल https://search.google.com/searchconsole/remove-outdated पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैः -

हालाँकि, यह दोहराया जाता है कि सर्च इंजन केवल खोज परिणामों को डी-इंडेक्स कर सकते हैं, जबकि केवल वेबमास्टरों का अपने वेबपृष्ठों पर प्रकाशित सामग्री पर नियंत्रण होता है और वे इसे हटा सकते हैं। इस कारण से, स्रोत पर हटाई गई सामग्री को हटाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को संबंधित वेबमास्टर से इस तरह की सामग्री को हटाने का अनुरोध करना चाहिए। यह गूगल द्वारा यूआरएल पर समर्थन पृष्ठ पर समझाया गया है

https://support.google.com/websearch/answer/9109, जो यह भी इंगित करता है कि वेबमास्टर से कैसे संपर्क करें और परिवर्तन का अनुरोध करें।

31. मैं कहता हूं कि, भारत के विशेष संदर्भ में, गूगल ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एल.ई.ए) सहित सरकारी एजेंसियों के लिए एक समर्पित वेब फॉर्म भी बनाया है, जो गैरकानूनी हो सकती है, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। यह यूआरएल https://support.google.com/legal/contact/lr_gov_india पर स्वतंत्र रूप से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए पूरे भारत में एलईए द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त वेबप्रपत्रों की प्रतियां अनुलग्नक आर-5 (कॉली) के रूप में संलग्न हैं॥

ञ. यूट्यूब के संबंध में, सीएसएएम पर इसकी नीतियां व्यापक हैं और नाबालिगों के यौन शोषण से संबंधित किसी भी सामग्री को तुरंत हटा दिया जाता है। समुदाय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली सामग्री का पता लगाने, समीक्षा करने और हटाने के लिए बड़े पैमाने पर समस्याग्रस्त सामग्री का पता लगाने के लिए लोगों और एमएल का एक संयोजन तैनात किया जाता है। व्यक्तिगत रिपोर्टिंग उन उपयोगकर्ताओं द्वारा गुमनाम रूप से की जा सकती है जो संभावित रूप से आपत्तिजनक सामग्री के सामने आए हैं। एक विश्वसनीय फ्लैगर कार्यक्रम भी विकसित किया गया है जो व्यक्तियों, सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सामुदायिक

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के बारे में यूट्यूब को सूचित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, समीक्षक दल हैं जो नीतियों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के साथ-साथ आयु-प्रतिबंध वाली सामग्री को हटा देते हैं जो सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, स्वचालित फ्लैगिंग सिस्टम भी मौजूद हैं जो स्वचालित रूप से स्पैम की पहचान करने और हटाने के साथ-साथ पहले से ही फ्लैग की गई सामग्री के पुनः अपलोड की निगरानी करने में मदद करते हैं। यदि उपयोगकर्ताओं द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि रिपोर्ट की गई सामग्री सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो इसे तुरंत हटा दिया जाता है और अपलोड करने वाले को एक नोटिस भेजा जाता है। सभी उपयोगकर्ताओं को सभी लागू कानूनों का पालन करना आवश्यक है।

ट. वीडियो-हैशिंग तकनीक को सामुदायिक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए हटा दी गई वीडियो सामग्री की समान प्रतियों के पुनः अपलोड को रोकने के लिए तैनात किया गया है। यह तकनीक एक विशेष वीडियो को एक अल्फान्यूमेरिक हैश मान में परिवर्तित करती है जो मूल वीडियो के गणितीय रूप से सटीक फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करती है। यह प्लेटफ़ॉर्म को उल्लंघनकारी सामग्री के पुनः अपलोड को रोकने की अनुमति देता है। एआई/एमएल उपकरण भी मौजूद हैं जो गूगल को उस सामग्री को हटाने से पहले व्यापक रूप से देखे जाने या बिल्कुल भी देखे जाने से रोकने की

अनुमति देते हैं जो उसके सामुदायिक दिशानिर्देशों या सेवा की शर्तों का उल्लंघन करती है। गूगल की ओर से दाखिल शपत पत्र में कहा गया है कि "*इन परिष्कृत तकनीकी उपकरणों के आवेदन के माध्यम से, यह सुनिश्चित करना संभव हो गया है कि हटाए गए सभी सामग्री का लगभग 42% एक बार के लिए भी देखे जाने से पहले हटा दिया जाता है।*

ठ. गूगल सामग्री सुरक्षा एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) भी लेकर आया है जिसे उसके शपथ पत्र में निम्नानुसार चित्रित किया गया हैः

> *"**17.** यह कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफार्मों पर सीएसएएम सामग्री के अपलोड को रोकने के लिए बाल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एआई और एमएल अनुसंधान पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। गूगल मानता है कि ज्ञात सीएसएएम छवियों का पता लगाना केवल समस्या के हिस्से को संबोधित करता है। जबकि उद्योग प्रभावी रूप से ज्ञात छवियों के प्रसार का मुकाबला कर रहा था नए सीएसएएम को संबोधित करने के लिए एक समाधान की आवश्यकता थी जो शिकारी उत्पन्न करना जारी रखते हैं, ताकि नाबालिगों को अभी भी पीड़ित होने में मदद करने की संभावना बढ़ सके। इसे ध्यान में रखते हुए, गूगल ने हाल ही में कंटेंट सेफ्टी एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) की घोषणा की, जो गैर सरकारी संगठनों और अन्य उद्योग भागीदारों के साथ अभूतपूर्व तकनीक को साझा करने के लिए एक तंत्र है, जो दुरुपयोग होने की संभावना वाली सामग्री की समीक्षा की प्राथमिकता की अनुमति देता है-इस*

प्रकार उन लोगों को सक्षम बनाता है जो इसका उपयोग बेहतर समीक्षा, रिपोर्ट और सामग्री को हटाने के लिए करते हैं जिसमें पहले अनदेखी सीएसएएम शामिल हो सकती है। यह तकनीक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करती है जो सेवा प्रदाताओं, एनजीओ और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर इस तरह की सामग्री की समीक्षा करने के तरीके में नाटकीय रूप से सुधार करने के लिए गूगल की मौजूदा तकनीकों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है। छवि वर्गीकरण के लिए गहरे तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके, गूगल अब समीक्षकों को कई छवियों द्वारा से क्रमबद्ध करने में सहायता कर सकता है, जिसमें दुरुपयोग होने की सबसे अधिक संभावना वाली सामग्री को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह नई तकनीक दुरुपयोग सामग्री को लक्षित करके अपराधियों के साथ बनी रहती है जो पहले नहीं देखी गई होगी। नई छवियों की त्वरित पहचान का मतलब है कि जिन बच्चों का आज यौन शोषण किया जा रहा है, उनकी पहचान होने और आगे के दुरुपयोग से संरक्षित होने की अधिक संभावना है।"

<u>माइक्रोसॉफ्ट की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

36. माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड ऑपरेशंस लिमिटेड, यानी प्रत्यर्थी नंबर 4 की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री जयंत मेहता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

क. एनसीआईआई की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित वेबफॉर्म उपलब्ध है और जनता का कोई भी सदस्य इस वेबफॉर्म का उपयोग

स्वयं की नग्न या यौन रूप से स्पष्ट छवि या वीडियो को हटाने का अनुरोध करने के लिए कर सकता है जो उनकी सहमति के बिना साझा किया गया हो सकता है। हालांकि, बिंग (www.bing.com), जो कि खोज इंजन है जो प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा संचालित है, वर्तमान में एनसीआईआई को स्वचालित रूप से खोजने और हटाने के लिए कोई तकनीक नहीं है, और केवल इसके अस्तित्व की सूचना प्राप्त होने पर विश्व स्तर पर सामग्री को हटा सकता है। इसके अलावा, बिंग एक सामग्री-होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और तीसरे पक्ष के वेब पेजों पर प्रकाशित जानकारी पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। पीड़ित के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह वेबपेज मालिकों के साथ काम करे ताकि सामग्री को पूरी तरह से इंटरनेट से हटाया जा सके।

ख. यद्यपि छवि स्कैनिंग के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है, एनसीआईआई को स्वचालित रूप से खोजने और डीइंडेक्स करने के उद्देश्य से इसका कार्यान्वयन एक क्रिप्टोग्राफिक डेटाबेस, इंटरऑपरेबिलिटी मानकों और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के विकास पर निर्भर करता है जिसका उपयोग एनसीआईआई के दोहराव की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्तमान में तकनीकी कंपनियों के एक क्रॉस-इंडस्ट्री गठबंधन के साथ काम कर रहा है ताकि ऐसी तकनीक की

तैनाती के लिए प्रक्रियाओं और मानकों को स्थापित किया जा सके जो उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा।

ग. 25.02.2021 को अधिसूचित आईटी नियम सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे, और वे सभी हितधारकों के बीच एक लंबी और गहन परामर्श प्रक्रिया का एक उत्पाद हैं जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों के संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है जो आज तक तकनीकी कंपनियों द्वारा हासिल किया गया है। आईटी नियमों को लागू करने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं राज्यसभा का प्रस्ताव दिनांक 26.07.2018 को "सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग और प्रसार फेक न्यूज", जिसमें **एमईआईटीवाई** के मंत्री ने उच्च सदन को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता से अवगत कराया। पुन: प्रज्वला पत्र दिनांक 18.02.2015 यौन हिंसा के वीडियो और सिफारिशें, **एस.एम.डब्ल्यू. (सी.आर.) 2015 का नंबर 3** में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुसार, भारत सरकार को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप जैसे मध्यस्थों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया गया था, ताकि बाल पोर्नोग्राफी,

बलात्कार और गैंगबैंग वीडियो के प्रसार से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।

घ. आईटी नियमों के संबंध में सार्वजनिक परामर्श के दौरान, टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं, और यह देखा गया था कि सामग्री की स्वचालित फ़िल्टरिंग की तैनाती के हानिकारक प्रभाव होंगे क्योंकि इससे वैध सामग्री को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, मध्यस्थों को सामग्री को फ़िल्टर करने की आवश्यकता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध के बराबर होगी। इस प्रकार, मध्यस्थों द्वारा ऑटो-फ़िल्टरिंग / ऑटो-मॉडरेशन को शामिल नहीं करने का निर्णय, एक जानबूझकर और सूचित निर्णय था जो सभी पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद लिया गया था। इसके अतिरिक्त, 24.12.2018 को जारी किए गए मसौदा नियमों के नियम 3 (9) में मध्यस्थ को गैरकानूनी जानकारी या सामग्री तक पहुंच को सक्रिय रूप से पहचानने और हटाने या अक्षम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित स्वचालित उपकरण या उपयुक्त तंत्र तैनात करने का प्रावधान था। हालांकि, परामर्श प्रक्रिया के बाद इस नियम को हटा दिया गया था, और आईटी नियमों के नियम 4 (4) के तहत किसी भी फॉर्म की

सक्रिय फ़िल्टरिंग महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) तक सीमित है। इसके अलावा, यह नियम सक्रिय रूप से फ़िल्टर करने के दायित्व को सीमित करता है ऐसे उपायों को नियोजित करना, और प्रकृति में गैर-बाध्यकारी है।

ड. न्यायालयों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार दोहराया गया है जैसे कि फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशनभारत संघ,**(2003) 4 एससीसी 289** और डॉ. अश्विनी कुमार संयोगभारत का,**(2020) 13 एससीसी 585**. इसके अलावा, हस्तक्षेप शून्य में और केवल समाधानों की वांछनीयता के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

च. माईस्पेस इंक बनाम सुपरकैसेटइंडस्ट्रीज लिमिटेड, **2016** एससीसी **ऑनलाइन डेल 6382** पर भरोसा किया गया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित आश्रय संरक्षण दर्शाता है कि संसद मध्यस्थ द्वारा किए जा सकने वाले परिश्रम के प्रति सचेत थी। हालाँकि, मध्यस्थों को गैर-उल्लंघनकारी सामग्री की पहचान करने के लिए बाध्य करने से बोलने की स्वतन्त्रता

बाधा उत्पन्न होगी और सेंसरशिप निजीकरण हो जाएगा। इसके अलावा, यह विवादित मध्यस्थ को न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी बना देगा क्योंकि वह एक आदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है जो प्रदर्शन करना असंभव है। इस प्रकार, मध्यस्थ केवल एक बार सामग्री को हटा सकते हैं जब उन्हें उसी के विशिष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं और सक्रिय रूप से ऐसा करने से बचना चाहिए।

<u>एमईआईटीवाई की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

37. श्री अनुराग अहलूवालिया, विद्वान सीजीएससी ने एमईआईटीवाई की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

क. आईटी अधिनियम की धारा 79 में जैसा धारा 2 (1) (डब्ल्यू) के तहत परिभाषित मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रावधान निहित हैं और इन मध्यस्थों को दायित्व से छूट सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित परिश्रम दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। आई. टी. नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों और एस. एस. एम. आई. सहित सभी मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम की गणना करते हैं, जिसका पालन किया जाना चाहिए। इन नियमों को उपयोगकर्ता की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है क्योंकि वे अब उपयोगकर्ताओं / पीड़ितों को शारीरिक निजता के भंग, प्रतिरूपण, संबंधित व्यक्ति की विकृत छवि से संबंधित विशिष्ट मामलों में सामग्री को हटाने से संबंधित अनुरोधों के लिए सीधे मध्यस्थों से संपर्क

करने की अनुमति देते हैं ताकि नुकसान और भावनात्मक संकट को रोका जा सके, विशेष रूप से बदला लेने वाले पोर्न के उदाहरणों में। शिकायत निवारण और सामग्री को हटाने के लिए वैधानिक समयसीमा भी प्रदान की गई है। एमईआईटीवाई की ओर से दायर संक्षिप्त शपथ पत्र का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आईटी नियम, 2021 का स्पष्ट उद्देश्य उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आईटी नियम, 2021 के वि भिन्न प्रावधान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इनमें शामिल हैं:

1. नियमों और शर्तों [नियम 3 (ठ) (ख)] में स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाने वाली कुछ आवश्यकताओं का विशिष्ट समावेश।

2. शारीरिक निजता का उल्लंघन करने वाली बदला लेने वाली पोर्न और इसी तरह की सामग्री के संबंध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करना और सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करना [नियम 3 (2) (बी)]।

3. मध्यस्थों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र में वृद्धि [नियम 3 (2) (क)]।

4. एसएसएमआई के लिए एक निवासी शिकायत अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त

करने का अतिरिक्त प्रावधान, जो सभी भारत में निवासी होंगे; और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ का एक वास्तविक संपर्क पता भारत में (नियम 4 (1) और 4 (5))।

5. नियमों में यह भी प्रावधान है कि मध्यस्थ अभियोजन के लिए बलात्कार और बाल यौन दुरुपयोग सामग्री (सीएसएएम) इमेजरी से संबंधित जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग करेगा [नियम 4 (2)]।

6. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ बाल यौन दुरुपयोग, बलात्कार आदि की किसी भी छवि की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को लागू करने का प्रयास करेंगे। नियम [नियम 4 (4)] में सुरक्षा उपायों के अनुसार वास्तविक या नकली।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईटी नियम, 2021 शिकायत निवारण और सामग्री को हटाने के लिए निम्नलिखित वैधानिक समयसीमा प्रदान करता है:

1. शिकायत निवारण; पावती के लिए 24 घंटे और निपटान के लिए 15 दिन [नियम 3 (2)]।

2. न्यायालय के आदेश या कानून द्वारा अधिकृत उपयुक्त सरकार से नोटिस के आधार पर वास्तविक जानकारी के आधार पर मंच से जानकारी हटाना:36 घंटे [नियम 3 (1) (घ)]।

3. वैध अनुरोध पर जानकारी प्रदान करनाःघंटे 72 [नियम 3 (1) (ञ)]।

4. बदला लेने वाली पोर्नोग्राफी को हटाना (यौन जबरदस्ती /गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी प्रकाशन/यौन कृत्य या प्रतिरूपण से जुड़े आचरण, आदि) और अन्य समान सामग्रीःघंटे 24 [नियम 3 (2) (बी)]

ख. हालांकि याचिकाकर्ता की शिकायत आईटी नियमों के नियम 3 (2) (ख) के तहत आती है और मध्यस्थ चौबीस घंटे के भीतर अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए बाध्य है, किसी भी सक्रिय निगरानी और सामग्री को हटाने से याचिकाकर्ता के समान या समान नाम वाले अन्य व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

<u>दिल्ली पुलिस की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

38. जी. एन. सी. टी. डी. की ए. एस. सी. (आपराधिक) सुश्री नंदिता राव ने दिल्ली पुलिस की ओर से निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। उसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"1. इंटरनेट पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की निगरानी और मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदम

(क) WWW.cybercrime.gov.in पोर्टल में एक अंतर्निहित सुविधा तंत्र है जो स्वचालित रूप से पीड़ित/शिकायतकर्ता को

उसके निवास के अनुसार संबंधित पीएस/इकाई को अपनी शिकायत भेजने में सहायता करता है।

(ख) प्रत्येक जिले में जिला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और उन्होंने महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर मुद्दे को संभालने के लिए एनसीएमईसी (लापता और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र)/सीपी आरजीआर (चाइल्ड पोर्नोग्राफी-रेप गैंग रेप) सेल को समर्पित किया है।

(ग) साइबर अपराधों के शिकार लोगों की मदद के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम कर रही है।

(घ) जिला साइबर प्रकोष्ठ (डी. सी. सी.) को जिला साइबर पुलिस थानों से बदल दिया गया है। प्रत्येक जिला साइबर पुलिस स्टेशन का संपर्क विवरण cybercelldelhi,in ततपर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की अन्य वेबसाइटें पर उपलब्ध है।।"

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

39. इंटरनेट के आगमन के साथ, दुनिया में इसकी बढ़ती पहुंच, इसकी सर्वव्यापीता के साथ-साथ इसकी सर्वव्यापी प्रकृति और सीमाओं की कमी के कारण, किसी भी व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी सामग्री का प्रसार आसानी से और इसके स्रोत का शीघ्र पता लगाए बिना किया जा सकता है। जैसे-जैसे हमारी आभासी पहचान लगातार अधिक महत्व और स्थान प्राप्त करती है इंटरनेट की अमरता किसी की निजता के अधिकार और विस्मृत के अधिकार पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाती है। इंटरनेट कभी विस्मृत नहीं होता है, और एक बार

ऐसी सामग्री अपलोड हो जाने के बाद, इसके प्रसार को नियंत्रित करना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। इस तरह के मामलों में, न्यायालय को यह समझना चाहिए कि मामला प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है और कोई सही या गलत नहीं है, और निर्देश/दिशा-निर्देश ऐसे नहीं हैं कि इसके कार्यान्वयन में असंभवता का कोई तत्व है, जिससे पूरी कवायद निराशाजनक हो जाती है; इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनसीआईआई प्रसार के पीड़ित को आगे कोई परेशानी न झेलनी पड़े। प्रदान किया गया कोई भी समाधान जानबूझकर और आनुपातिक होना चाहिए, और उस उपचार के समान नहीं होना चाहिए जो बीमारी से भी बदतर हो। यह न्यायालय अंगुली बचने के लिए हाँथ नहीं काटने दे सकता है [रेनो बनाम अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, **521 यूएस 244** में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लें]।

40. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मध्यस्थों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और वे आई. टी. अधिनियम की धारा 79 के कारण द्वितीयक दायित्व के सिद्धांत के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। द्वितीयक दायित्व का सिद्धांत उस कानूनी जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसे एक संस्था द्वारा दूसरे के कार्यों के लिए निर्वहन(dischaged) किया जाना चाहिए। धारा 79 एक मध्यस्थ को इस दायित्व को वहन करने से छूट देती है, और इसके पीछे तर्क यह है कि उपयोगकर्ताओं के मूल अधिकार और इंटरनेट पर सूचना का मुक्त प्रवाह

बरकरार रहना चाहिए। हालांकि, एक बार जब कोई मध्यस्थ, वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर, या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में रहने या उससे जुड़े किसी भी सूचना, डेटा या संचार लिंक के माध्यम से एक गैरकानूनी कार्य किया जा रहा है, तो उक्त सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने में विफल रहता है, तो खंड 79 (1) लागू नहीं होगी। केवल इन असाधारण परिस्थितियों में ही द्वितीयक दायित्व का सिद्धांत सक्रिय होता है, और किसी तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ता द्वारा एनसीआईआई के दुरुपयोग को जारी रखने और किसी अजनबी को नुकसान पहुंचाने के बावजूद, मध्यस्थ तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ता के आचरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इसके अलावा, आईटी नियम उपयोगकर्ता/पीड़ित के लिए न्यायालय का आदेश प्राप्त करने के बिना एनसीआईआई सामग्री को हटाने के लिए सीधे मध्यस्थों से संपर्क करने के लिए एक तंत्र भी तैयार करते हैं। इसलिए, अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करने के लिए अपने स्वयं के उचित प्रयास करने के अलावा, मध्यस्थों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे न्यायालय के आदेश द्वारा या उपयुक्त सरकार के आदेश द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं सूचित किए जाने के बाद अपमानजनक सामग्री को हटा दें।

<u>एन. सी. आई. आई. और निजता का अधिकार</u>

41. न्यायालय का आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी का आदेश फिलहाल लागू किसी भी कानून के उल्लंघन के अनुसरण में होना चाहिए। तत्काल मामले में, एनसीआईआई को अपलोड करने से न केवल आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पवित्र पहलू है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, **(2017) 10 एससीसी 1** में अभिनिर्धारित किया था। उक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता के अलग-अलग अर्थ हैं जिसमें निर्णयात्मक स्वायत्तता शामिल है जो अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों और सूचनात्मक नियंत्रण को समझती है जो एक व्यक्ति को व्यक्ति से संबंधित जानकारी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सशक्त बनाती है। इस समय निजता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने वाले प्रासंगिक पैराग्राफ को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

> *"**248**. निजता के अलग-अलग अर्थ हैं जिनमें (i) स्थानिक नियंत्रण; (ii) निर्णयात्मक स्वायत्तता; और (iii) सूचनात्मक नियंत्रण शामिल हैं। [भैरव आचार्य,-द फोर पार्ट्स ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया, इकोनॉमिक" एंड पॉलिटिकल वीकली (2015), वॉल्यूम। 50 अंक 22, पृ.32.] स्थानिक नियंत्रण निजी स्थानों के निर्माण को दर्शाता है। निर्णयात्मक स्वायत्तता अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों को समझती है जैसे कि प्रजनन को नियंत्रित करने के साथ-साथ विश्वास या पोशाक के तरीकों जैसे सार्वजनिक रूप से*

व्यक्त किए गए विकल्प। सूचना नियंत्रण व्यक्ति को व्यक्ति से संबंधित जानकारी पर व्यक्तिगत नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक ढाल के रूप में निजता का उपयोग करने का अधिकार देता है। सूचना की निजता के संबंध में, यह कहा गया है किः

> *"... शायद सबसे विश्वसनीय अवधारणा हेलेन निसेनबाम द्वारा प्रस्तावित की गई है, जो तर्क देते हैं कि निजता यह अपेक्षा है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी को उचित रूप से माना जाएगा। प्रासंगिक अखंडता के इस सिद्धांत का मानना है कि लोग अपनी जानकारी को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं या उतनी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहते हैं जितना वे चाहते हैं कि उनकी जानकारी को उनकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार किया जाए (निसेनबाम 2004,2010,2011)।[भैरव आचार्य,-द फोर पार्ट्स ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (2015), वॉल्यूम 50 अंक 22, पृ.34]*

* * * *

250. *.... उपरोक्त चित्रण के अनुसार निजता के नौ प्राथमिक प्रकार हैं:*

(i) शारीरिक निजता जो शारीरिक की निजता को दर्शाती है। इसमें दूसरों को अपने शरीर का उल्लंघन करने या शारीरिक हरकत की स्वतंत्रता को रोकने में समर्थ होने की नकारात्मक स्वतंत्रता निहित है;

(ii) स्थानिक निजता जो एक निजी स्थान की निजता में परिलक्षित होती है जिसद्वारा से दूसरों की पहुंच को स्थान तक सीमित किया जा सकता है; अंतरंग संबंध और पारिवारिक जीवन स्थानिक गोपनीयता का एक उपयुक्त उदाहरण हैं;

(iii) संचार संबंधी गोपनीयता जो किसी व्यक्ति को संचार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाने में परिलक्षित होती है

(iii) संचार संबंधी गोपनीयता जो किसी व्यक्ति को संचार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाने में परिलक्षित होती है। *संचार या जानकारी के उपयोग को नियंत्रित करना जो तीसरे पक्ष को संप्रेषित किया जाता है;*

(iv) स्वामित्व गोपनीयता जो तथ्यों, चीजों या जानकारी को दूसरों से बचाने के साधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में किसी व्यक्ति के हित से परिलक्षित होती है;

(v) बौद्धिक गोपनीयता जो विचार और मन की गोपनीयता और राय और विश्वासों के विकास में व्यक्तिगत रुचि के रूप में परिलक्षित होती है;

(vi) निर्णयात्मक गोपनीयता जो अंतरंग निर्णय लेने की योग्यता से परिलक्षित होती है जिसमें मुख्य रूप से किसी की यौन या प्रजनन प्रकृति और अंतरंग संबंधों के संबंध में निर्णय शामिल होते हैं;

(vii) सहयोगी गोपनीयता जो व्यक्ति की यह चुनने की योग्यता में परिलक्षित होती है कि वह किसके साथ बातचीत करना चाहती है;

(viii) व्यवहारगत गोपनीयता जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली गतिविधियों का संचालन करते समय भी किसी व्यक्ति के गोपनीयता हितों को पहचानती है। व्यवहार की गोपनीयता यह मानती है कि जब दूसरों को पहुंच प्रदान की जाती है, तब भी व्यक्ति को पहुंच की सीमा को नियंत्रित करने और अवांछित प्रवेश से खुद को कुछ हद तक मुक्त रखने का उपाय सुरक्षित रखने का अधिकार है; और

(ix) सूचना की गोपनीयता जो स्वयं के बारे में जानकारी को प्रसारित होने से रोकने और जानकारी तक पहुंच की सीमा को नियंत्रित करने में रुचि को दर्शाती है।"

42. किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में मान्यता दी गई है। इसमें यह मत व्यक्त किया गया कि जब्कि यह एक परम अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण का प्रयोग करने के इस अधिकार में इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का व्यक्ति का अधिकार भी शामिल होगा। निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :-

"629. किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने और अपने जीवन को नियंत्रित करने में समर्थ होने के अधिकार में इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का उसका

अधिकार भी शामिल होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक परम अधिकार नहीं होगा। इस तरह के अधिकार के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि एक अपराधी अपने अतीत को मिटा सकता है, बल्कि यह है कि गलतियों के विभिन्न स्तर हैं, छोटी और बड़ी, और यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति का सभी के जानने के लिए अंतिम हद तक वर्णन किया जाना चाहिए।"

43. निजता का यह अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से भी अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 66ङ में भी उल्लेख किया गया है, व्यक्तियों को गोपनीयता के लिए एक उचित अपेक्षा होती है जो घरेलू संबंध की सीमा के भीतर नहीं खोती है, या यहां तक कि तब भी जब अगर कोई अंतरंग छवि किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस समझ और अपेक्षा के साथ साझा की जाती है कि उसे तीसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में संदर्भ मायने रखता है जहां गोपनीयता की अपेक्षा यह होती है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी को उचित रूप से और व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार माना जाएगा; यह उक्त व्यक्ति है जो स्वयं से संबंधित किसी भी जानकारी पर नियंत्रण रखता है। एक परिणाम के रूप में, यदि व्यक्ति को सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार है, तो यह व्यक्ति के विस्मृत होने के अधिकार को भी शामिल करता है, जिसे किसी व्यक्ति की गरिमा का परिणाम और इस प्रकार, गोपनीयता के अधिकार का एक पहलू माना गया है।

44. केरल उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने हाल ही में वैशाख के.जी. बनाम भारत संघ व अन्य, **2022 एससीसी ऑनलाइन केर 7337**, वाले मामले में सूचना के अधिकार के साथ-साथ गोपनीयता के अधिकार पर न्यानिर्णयन करते हुए, यह व्यक्त करने के लिए "इंटरनेट गोपनीयता और भुला दिए जाने/विस्मृत हो जाने के अधिकार" पर सेसिल डी टेरवांगने के शोध पत्र का उल्लेख किया कि- *"इंटरनेट के संदर्भ में इस गोपनीयता के आयाम का अर्थ है सूचना स्वायत्तता या सूचनात्मक आत्मनिर्णय...सूचना आत्मनिर्णय का अर्थ है किसी की व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण, व्यक्ति का यह तय करने का अधिकार कि किस जानकारी का खुलासा किया जाएगा, किसे और किस उद्देश्य के लिए।"* निर्णय आगे यह मत व्यक्त करता है कि डिजिटल संदर्भ में, "सूची से हटने का अधिकार" और "विस्मृत होने का अधिकार" भूला दिए जाने के अधिकार के पहलू हैं।

45. प्रत्यर्थी मध्यस्थगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क यह है कि चूंकि सर्च इंजन केवल सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं और उक्त सामग्री को होस्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए निर्देश प्रकाशकों को दिए जाने चाहिए न कि स्वयं सर्च इंजनों को। यह इस स्तर पर है कि यह सुनिश्चित करने में एक सर्च इंजन की भूमिका कि किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन न हो प्रमुख हो जाती है, विशेष रूप से नियम 3(1)(ड) के साथ, जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थगण अनुच्छेद 14,19 और

21 सहित संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मान करेंगे। यह बताना भी आवश्यक है कि इंटरनेट पर एनसीआईआई सामग्री का निरंतर अस्तित्व किसी भी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करता है और यह आईटी अधिनियम की धारा 66ङ के तहत दंडनीय है। अतः प्रत्यर्थी मध्यस्थगण की ओर से प्रस्तुत तर्क इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है।

सर्च इंजनों के सामाजिक उत्तरदायित्व

46. गूगल स्पेन एसएल, गूगल इंक. बनाम एजेंसिया एस्पेनोला डी प्रोतेक्सियॉन डी डेटोस, **वाद सी-131/12**, में यूरोपीय संघ के न्यायालय (सीजेईयू) के निर्णय में एक सर्च इंजन के कर्तव्य और दायित्व की व्याख्या की गई है, जिसमें वादी की शिकायत थी कि उसके नाम को गूगल पर खोजे जाने पर उसकी दिवालिया कार्यवाहियों पर समाचार पत्र के लेखों के लिंक प्राप्त हुए थे। सीजेईयू ने माना कि एक सर्च इंजन द्वारा निभाई गई भूमिका ऐसी है कि यह गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, और इस प्रकार, एक सर्च इंजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, अपनी जिम्मेदारियों, शक्तियों और क्षमताओं के ढांचे के भीतर, इसकी गतिविधियों को कानून का पालन करना चाहिए जो इसके अनुपालन के अभाव में अप्रभावी हो जाएगा। सीजेईयू ने "भूला दिए जाने के अधिकार" को भी मान्यता दी और कहा कि यदि उपयोगकर्ता का अनुरोध कानून के अनुरूप पाया गया था, तो यह सर्च इंजन पर बाध्यकारी था कि वह प्रश्नगत लिंकों को हटा

दे क्योंकि कानून सर्च इंजन के वित्तीय हितों के साथ-साथ उस जानकारी तक पहुंचने में आम जनता के हित से भी ऊपर है। उक्त निर्णय पर लक्ज़मबर्ग में दिनांक 13.05.2014 को यूरोपीय संघ के न्यायालय द्वारा अंग्रेजी भाषा में जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 70/2014 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है :-

> *"न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्देश के अर्थ के भीतर, उस प्रसंस्करण के संबंध में सर्च इंजन का संचालक 'नियंत्रक' है, यह देखते हुए कि यह संचालक है जो प्रसंस्करण के उद्देश्यों और साधनों को निर्धारित करता है। न्यायालय ने इस संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि चूंकि एक सर्च इंजन की गतिविधि वेबसाइटों के प्रकाशकों की गतिविधि के अतिरिक्त है और गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए सर्च इंजन के संचालक को अपनी जिम्मेदारियों, शक्तियों और क्षमताओं के ढांचे के भीतर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी गतिविधि निर्देश की आवश्यकताओं का अनुपालन करती हो। यह एकमात्र तरीका है कि जिससे निर्देश द्वारा निर्धारित गारंटी पूरी तरह से प्रभावी हो पाएगी और डेटा विषयों की प्रभावी और पूर्ण सुरक्षा (विशेष रूप से उनकी गोपनीयता) वास्तव में प्राप्त की जा सकती है।*
>
> *जहां तक निर्देश के क्षेत्रीय दायरे का संबंध है, न्यायालय का मानना है कि गूगल स्पेन, स्पेन की सीमा में गूगल इंक. की सहायक कंपनी है और इसलिए, निर्देश के अर्थ के भीतर एक 'प्रतिष्ठान' है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि*

गूगल सर्च द्वारा व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण स्पेन में उस प्रतिष्ठान की गतिविधियों के संदर्भ में नहीं किया जाता है। न्यायालय ने इस संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां ऐसे डेटा को किसी ऐसे उपक्रम द्वारा संचालित सर्च इंजन के प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है, जिसका स्थान किसी गैर-सदस्य राज्य में होने पर भी उसका किसी सदस्य राज्य में प्रतिष्ठान है, वहां यदि प्रतिष्ठान का आशय सदस्य राज्य में, इंजन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को लाभदायक बनाने के लिए सर्च इंजन द्वारा प्रदान किए गए विज्ञापन स्थान को बढ़ावा देना और बेचना है तो उस प्रतिष्ठान की गतिविधियों के संदर्भ में, निर्देश के अर्थ के भीतर प्रसंस्करण किया जाता है।

इसके बाद, जहां तक सर्च इंजन के संचालक की जिम्मेदारी की सीमा का संबंध है, न्यायालय का मानना है कि संचालक, कुछ परिस्थितियों में, उस व्यक्ति के नाम के आधार पर की गई खोज के बाद प्रदर्शित परिणामों की सूची से उन वेब पृष्ठों के लिंकों को हटाने के लिए बाध्य है जो तीसरे पक्ष द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और जिनमें उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी होती है। न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि ऐसा दायित्व उस मामले में भी हो सकता है जहां उस नाम या जानकारी को उन वेब पृष्ठों से पहले ही या साथ-साथ नहीं मिटाया गया है, और यहां तक कि, उस मामले में भी, जब उन पृष्ठों पर उसका प्रकाशन वैध है।

न्यायालय इस संदर्भ में इंगित करता है कि ऐसे प्रचालक द्वारा व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण किसी भी इंटरनेट उपयोगकर्ता को,

जब वह किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर खोज करता है, परिणामों की सूची से, इंटरनेट पर उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी का एक संरचित अवलोकन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, न्यायालय का मानना है कि यह जानकारी संभावित रूप से उनके निजी जीवन के कई पहलुओं से संबंधित है और यह कि, सर्च इंजन के बिना, जानकारी आपस में जुड़ी नहीं हो सकती थी या ऐसा केवल बड़ी कठिनाई के साथ ही हो सकती थी। इंटरनेट उपयोगकर्ता इस तरह से उस व्यक्ति की कम या ज्यादा विस्तृत प्रोफ़ाइल स्थापित कर सकते हैं जिसके लिए खोज की गई है। इसके अलावा, व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप का प्रभाव आधुनिक समाज में इंटरनेट और सर्च इंजनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के कारण बढ़ जाता है, जो परिणामों की ऐसी सूचियों में निहित जानकारी को सर्वव्यापी बनाते हैं। इसकी संभावित गंभीरता के आलोक में, न्यायालय के अनुसार, इस तरह के हस्तक्षेप को केवल आर्थिक हित, जो इंजन के संचालक का डेटा प्रसंस्करण में है, के द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

हालांकि, चूंकि, मुद्दे पर जानकारी के आधार पर, परिणामों की सूची से लिंकों को हटाने से उस जानकारी तक पहुंच रखने में संभावित रूप से रुचि रखने वाले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के वैध हित पर प्रभाव पड़ सकता है, न्यायालय का मानना है कि उस हित और डेटा विषय के मूल अधिकारों, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार के बीच एक उचित संतुलन होना चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि, हालांकि यह सच है कि एक सामान्य

नियम के रूप में, डेटा विषय के अधिकार भी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के उस हित को रद्द करते हैं, यह संतुलन, विशिष्ट मामलों में, हालांकि, प्रश्नगत जानकारी की प्रकृति और डेटा विषय के निजी जीवन के लिए इसकी संवेदनशीलता और उस जानकारी को रखने में जनता के हित पर निर्भर कर सकता है, एक ऐसा हित जो सार्वजनिक जीवन में डेटा विषय द्वारा निभाई गई भूमिका के अनुसार विशेष रूप से भिन्न हो सकता है।

अंत में, इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या निर्देश डेटा विषय को यह अनुरोध करने में सक्षम बनाता है कि वेब पृष्ठों के लिंकों को परिणामों की ऐसी सूची से इस आधार पर हटा दिया जाए कि वह चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से उससे संबंधित उन पृष्ठों पर दिखाई देने वाली जानकारी को एक निश्चित समय के बाद 'भुला दिया जाए', न्यायालय का मानना है कि डेटा विषय द्वारा अनुरोध के बाद, यदि यह पाया जाता है कि सूची में उन लिंकों को शामिल करना, इस समय, निर्देश के साथ असंगत है, परिणामों की सूची से लिंकों और जानकारी को मिटा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि प्रारंभ में सटीक डेटा का वैध प्रसंस्करण भी, समय के साथ, निर्देश के साथ असंगत हो सकता है, जहां मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन उद्देश्यों के संबंध में जिनके लिए उन्हें प्रसंस्कृत किया गया था और उस समय के प्रकाश में जो बीत चुका है डेटा अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अब प्रासंगिक नहीं या अत्यधिक प्रतीत होता है। न्यायालय ने आगे कहा कि जब किसी सर्च इंजन के संचालक द्वारा की गई प्रक्रिया

का विरोध करने के लिए डेटा विषय द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध का मूल्यांकन किया जाता है, तो विशेष रूप से इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या डेटा विषय को यह अधिकार है कि व्यक्तिगत रूप से उससे संबंधित जानकारी को अब उसके नाम के आधार पर की गई खोज के बाद प्रदर्शित परिणामों की सूची द्वारा उसके नाम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो उस जानकारी वाले वेब पृष्ठों के लिंकों को परिणामों की उस सूची से हटा दिया जाना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष कारण न हों, जैसे कि सार्वजनिक जीवन में डेटा विषय द्वारा निभाई गई भूमिका, जो ऐसी खोज किए जाने पर जानकारी तक पहुंच में जनता के प्रमुख हित को उचित ठहराता है।"

(जोर दिया गया)

47. <u>गूगल एलएलसी बनाम कमीशन नस्योनल द लाफोर्मेटिक ई दी लीबेख्त</u> (सीएनआईएल, **वाद सी-507/2017**) में सीजेईयू के एक अन्य फैसले में, यह मत व्यक्त किया गया कि यदि आवश्यक हो, तो डेटा विषय (उपयोगकर्ता/पीड़ित) के मूल अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रभावी उपाय करना सर्च इंजन संचालक की जिम्मेदारी थी। इन उपायों का सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना अपेक्षित था और "*इनमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को रोकने या, कम से कम, सदस्य राज्यों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उस डेटा विषय के नाम के आधार पर की गई खोज का उपयोग करके लिंक तक पहुंच प्राप्त करने से गंभीरता से हतोत्साहित करने का प्रभाव होना चाहिए।*"

48. हालांकि, <u>दा कुन्हा बनाम याहू द अर्जेंटीना एसआरएल व एक अन्य,</u> **एक्सप्टे. एन 561/2010**, जो मानहानिकारक खोज परिणामों के बारे में एक मामला था, जिसमें अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यवर्ती जवाबदेह शासन भी मध्यस्थगण को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं जो विशिष्ट उल्लंघन की "वास्तविक जानकारी" प्राप्त होने पर अवैध सामग्री को अक्षम करने पर निर्भर करती है। हालाँकि, तीसरे पक्ष के डेटा की सामान्य निगरानी या पुलिसिंग करना उनका कर्तव्य नहीं हैं, और खोज परिणामों को अवरुद्ध करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करना पूर्व सेंसरशिप के बराबर होगा।

49. विचलित करते हुए, <u>व्यसाख के.जी. बनाम भारत संघ व अन्य</u> (उपरोक्त), के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने संक्षेप में कहा है कि गूगल को ऑनलाइन किए गए प्रकाशनों के लिए सामग्री के संबंध में आंख मूंधे होना नहीं कहा जा सकता है और यह केवल एक निष्क्रिय वाहक नहीं है। गूगल की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त जवाबदेही की कमी को खारिज करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

> *"**98**. हमें यहां मध्यस्थ संबंधी नियमों के संदर्भ में निर्णयों को ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए गूगल की जिम्मेदारी या दायित्व निर्धारित करने के लिए नहीं कहा गया है। निर्णयों का ऑनलाइन प्रकाशन और उन्हें हमेशा के लिए ऑनलाइन रहने की अनुमति देना विस्मृत होने के अधिकार के आधार पर किसी पक्ष*

के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। हम पहले ही एक ऐसे अधिकार की प्रकृति का उल्लेख कर चुके हैं जिसे विस्मृत होने के अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। यदि न्यायालय के निर्णयों को अनंत काल तक ऑनलाइन रहने की अनुमति दी जाती है, तो निश्चित रूप से, यह पक्षकारों के ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करेगा। कानून की अनुपस्थिति में जो समस्या उत्पन्न हुई है वह उस अवधि या परिस्थितियों का निर्धारण करना है जिसके तहत एक पक्ष उपरोक्त अधिकार का आह्वान कर सकता है। हम इस तथ्य से अनजान नहीं रह रहे हैं। भविष्य में कोई वादकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आ सकता है। कानून की अनुपस्थिति में, न्यायालय को प्रत्येक मामले के आधार पर उसके अधिकार को मान्यता देनी पड़ सकती है और ऑनलाइन उपलब्ध ऐसी सामग्री को सीधे हटाने का निर्देश देना पड़ सकता है। गूगल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि वे केवल एक मध्यस्थ हैं और वे निर्णयों की सामग्री या प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उक्त तर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। हम यहां मध्यस्थ संबंधी नियमों के अनुपालन या गैर-अनुपालन पर निर्णय लेने के लिए उपस्थित नहीं हैं। केंद्र सरकार के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क पर कि गूगल को एक मध्यस्थ के रूप में माना जाए और इसलिए इसे मध्यस्थ संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, इन मामलों में गुणागुण संबंधी विचार की आवश्यकता नहीं है। हम इन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए मूल अधिकारों से जुड़े बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित हैं। इन नियमों के बावजूद, राज्य और

गैर-राज्य अभिकर्ता नागरिकों के मूल अधिकारों का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। नागरिक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले कार्य और संचालन की प्रकृति के आधार पर गूगल को एक गैर-राज्य अभिकर्ता के रूप में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है। वे एक गैर-राज्य अभिकर्ता के रूप में पहचाने जाने के योग्य हैं। यहां तक कि बहु-राष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देशों, व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों में, गूगल जैसा उद्यम मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक गैर-राज्य अभिकर्ता के रूप में उत्तरदायी है। गूगल संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित है और ओईसीडी एक अंतर-सरकार संगठन है जिसमें अमेरिका भी एक पक्षकार है। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दुनिया भर में आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रगति में उद्यमों द्वारा सकारात्मक योगदान को बढ़ावा देना है। [बहु-राष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश, 2011 संस्करण देखें]। इसके अलावा, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि मूल अधिकारों पर आधारित दावे को क्षैतिज रूप से लागू किया जा सकता है। हालाँकि, निर्णय सार्वजनिक अभिलेख हैं और उन्हें ऑनलाइन की गई खोज की प्रक्रिया के द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराने को गलत नहीं कहा सकता है। साथ ही, हम यह नहीं मान सकते हैं कि गूगल ऑनलाइन किए गए प्रकाशनों के लिए सामग्री के संबंध में आंख मूंदे है; क्या वे किसी भी निषिद्ध प्रकृति की सामग्री को ऑनलाइन प्रदर्शित होने की अनुमति दे सकते हैं? उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों के प्रति यौन आकर्षण संबंधी (पीडोफिलिक) सामग्री। एक एल्गोरिथम का अर्थ है किसी समस्या को हल करने

या गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का एक समूह। कृत्रिम बौद्धिक क्षमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में, गूगल के लिए सामग्री की प्रकृति की पहचान करना और उसे हटाना काफी संभव है। गूगल केवल एक निष्क्रिय वाहक नहीं है। वे अब ऑनलाइन उपयोगकर्ता की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और जो वे ऑनलाइन खोज रहे हैं उसमें सर्वोत्तम परिणाम लाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्यस्थ संबंधी नियमों आदि को अलग रखते हुए, हमारा दृढ़ विचार है कि गूगल खुद को केवल एक मध्यस्थ के रूप में होने का दावा नहीं कर सकता है, जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म में दर्शकों या उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री प्रदर्शित करता है। किसी भी वैध अभिलेख का प्रकाशन संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(क), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित है। एआई की उन्नति के युग के दौरान गूगल के लिए एक उपकरण बनाने और विशेष डेटा की पहचान करने और उसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह वास्तव में विस्मृत होने के अधिकार के आधार पर किए गए दावे का उल्लंघन करेगा।"

50. एक पुनर्विलोकन याचिका, पुन.या. सं. 107/2023, गूगल इंकॉर्पोरेशन द्वारा दायर की गई थी जो उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण में से एक था। दिनांक 30.03.2023 के आदेश में, केरल उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने निम्नलिखित रूप से मत व्यक्त किया :-

*"**4.** उपरोक्त नियम में गूगल से न्यायालय के आदेश के आधार पर सामग्री को हटाना भी अपेक्षित है। उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि हमारी टिप्पणियां वैधानिक योजना के विपरीत नहीं हैं। आगे यह मत कि गूगल डेटा की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए एआई उपकरणों को तैनात कर सकता है, केवल एक सुझाव के रूप में माना जा सकता है और किसी भी तरह से गूगल से ऐसे डेटा की पहचान करने के लिए एआई उपकरणों को तैनात करने की मांग नहीं करता। ये सभी ऐसे मामले हैं जिन पर भविष्य में किसी भी कानून की अनुपस्थिति में उचित अभियोजन में निर्णय लेना होगा। इन टिप्पणियों का कोई परिणाम न होने के कारण, हमें निर्णय से टिप्पणियों को हटाने का कोई कारण नहीं मिलता है। पुनर्विलोकन याचिकाओं का तदनुसार निपटान किया जाता है।"*

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पुव.या. सं. 107/2023 का तत्काल मामले में निर्धारित निदेशों और दिशानिर्देशों पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि नया संशोधित नियम 3 स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि मध्यस्थ का दायित्व न केवल "सूचित" करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए "उचित प्रयास" करना भी है कि इसके उपयोगकर्ता नियम 3(1)(ख) के तहत निषिद्ध सामग्री प्रकाशित न करें। इस प्रकार, इसमें दिए गए कोई भी निर्देश मध्यस्थगण के दायित्वों के संबंध में वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।

51. "नैतिकता की खोज : ज्ञान के निर्माण और वितरण में सर्च इंजनों की भूमिक" पर एल.एम. हिनमैन द्वारा एक शोध पत्र में, यह कहा गया है कि सर्च

इंजनों के बढ़ते महत्व और व्यापकता के साथ, यह देखा जा सकता है कि सर्च इंजनों के विषय में अब यह नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल ज्ञान तक पहुंच प्रदान करते हैं, बल्कि वे ज्ञान को ही गठित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। सर्च इंजनों के उपयोगकर्ता ऑनलाइन डेटा के निरंतर विस्तृत होते ब्रह्मांड से होकर गुजरने के लिए सर्च इंजनों पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। इसकी व्यापकता ऐसी है कि "गूगल" शब्द का उपयोग अब एक क्रिया के रूप में किया जाता है और यह "खोज" का पर्याय बन चुका है। नतीजतन, किसी यू.आर.एल. की केवल डी-इंडेक्सिंग का ही किसी के विस्मृत होने के अधिकार की रक्षा करने पर एक क्रमिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे किसी के लिए आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है यदि उनके पास पहले से ही विशिष्ट यू.आर.एल. नहीं हैं।

52. उपरोक्त विधिक साहित्य से जो पता लगाया जा सकता है वह यह है कि एक सर्च इंजन सामग्री के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उक्त सामग्री को उपभोक्ताओं से जोड़ने में इसकी शक्तियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब इस प्रकाश में देखा जाता है, तो यह समझ से परे है कि जब ऐसे लिंकों तक, जिनमें प्रथमदृष्टया ऐसी सामग्री होती है जो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित है, पहुंच को खत्म या अक्षम करने की बात आती है, तो एक सर्च इंजन असहायता का नाटक कैसे कर सकता है। इन मध्यस्थगण का एक सामाजिक दायित्व है कि जब इनकी जानकारी में आता है कि ऐसी सामग्री

अवैध है तो वे इस तरह के लिंकों की डी-इंडेक्सिंग करने में अग्रसक्रिय रहें। यह न्यायालय इस सुझाव को असमर्थनीय पाता है कि उपयोगकर्ता/पीड़ित को हर बार एन.सी.आई.आई. सामग्री की नकल होने पर या तो विचाराधीन मध्यस्थ या न्यायालयों के समक्ष आना पड़े। इस तरह का सुझाव आईटी नियमों के पीछे के विधायी इरादे को भी विफल करता है जो ऐसी सामग्री को हटाने के लिए एक समयबद्ध सारणी तैयार करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण इस न्यायालय की नजर में अनुचित है, जिसमें पीड़ित/उपयोगकर्ता को अपने एन.सी.आई.आई. की होस्टिंग करने वाले प्रत्येक यू.आर.एल. की पहचान करने और फिर उसे साझा करने के लिए इंटरनेट पर छान-बीन करनी पड़ती है।

<u>अपराध करने वाली संस्थाओं के पास आवश्यक तकनीक है</u>

53. इसके अलावा, सर्च इंजन एनसीआईआई सामग्री, जिसकी पीड़ित/उपयोगकर्ता द्वारा बार-बार मध्यस्थ से संपर्क किए बिना सूचना दी गई है, को हटाने के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं होने की आड़ में नहीं छिप सकते हैं। गूगल एलएलसी के शपथ-पत्र के अनुसार, हैश-मैचिंग तकनीक, जो एक विशिष्ट आईडेंटिफायर/फिंगरप्रिंट/हैश उत्पन्न करती है, सीएसएएम को हटाने के उद्देश्य से मौजूद है। यह तकनीक आगे मिलान की गई सामग्री का पता लगाने और हटाने की अनुमति देती है जिसे पहले हटा दिया गया है। एनसीआईआई को हटाने के उद्देश्यों के लिए, एक बार ऐसी सामग्री की पहचान करने और हटाने के बाद, हैश-मैचिंग तकनीक एनसीआईआई सामग्री से संबंधित केवल

विशिष्ट आईडेंटिफायर को संग्रहीत कर सकती है और यदि ऐसी सामग्री को फिर से अपलोड किया जाता है, तो वह इस तरह के फिंग्रप्रिंट्स के अपने डेटाबेस को देखकर इसे छान कर अलग कर सकती है। एन.सी.आई.आई. के प्रसार को कम करने के लिए इसी तरह का एक उपकरण मेटा द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है, जो www.stopncii.org पर उपलब्ध है, और इसका उपयोग पीड़ित द्वारा अपमानजनक छवि का एक विशिष्ट फिंगरप्रिंट बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे पुनः अपलोड किए जाने को रोकने के लिए डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। यह उपकरण इस फिंगरप्रिंट (या हैश) की तुलना साइट पर उपलब्ध अन्य सभी छवियों के हैश से करने के लिए है; यदि कोई छवि समान पाई जाती है, इसे हटा दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी फोटो डीएनए के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका उपयोग वर्तमान में सीएसएएम की पहचान करने के लिए किया जा रहा है और इसका उपयोग गूगल और ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों द्वारा भी किया जा रहा है, और उत्पन्न हुए हैश के डेटाबेस का रखरखाव एक स्वतंत्र संगठन द्वारा किया जाता है। यूट्यूब ने भी सीएसएआई [बाल यौन हिंसा चित्रण (चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजरी)] मैच विकसित किया है जिसका उपयोग एनजीओ और अन्य कंपनियों द्वारा ज्ञात अपमानजनक सामग्री के डेटाबेस के खिलाफ पहचान करने के लिए किया जाता है।

54. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, जबकि इस न्यायालय की राय है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की प्रकृति की संस्थाएं, अपनी सर्वव्यापीता को देखते हुए, अपने दायित्व को कम करने के नाम पर व्यापक स्तर पर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकती हैं या पीछे नहीं हट सकती हैं, यह न्यायालय गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियों से सहमत है कि कोई भी निर्देश जो मध्यस्थगण की ओर से अग्रसक्रिय रूप से फ़िल्टरिंग को अपेक्षित करता है, उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की तकनीक को उपयोग में लाने का इरादा कोई भी क्यों न हो, इसके उपयोग से ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो कहीं अधिक खराब और तानाशाही वाले हों।

<u>क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है?</u>

55. जब हम अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार पर विचार करते हैं तो उत्पन्न होने वाली चिंताओं में से एक अनुच्छेद 19 (1)(क) के तहत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार पर इसका प्रभाव है, जो एक ऐसा तर्क है जो तत्काल मामले में सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस मुद्दे के लिए नियम 3 (2)(ख) में "ऐसी सामग्री" वाक्यांश की व्याख्या की आवश्यकता है और क्या इसका अर्थ पहचाने गए एनसीआईआई का एक विशिष्ट उदाहरण है, जैसा कि मध्यस्थगण द्वारा तर्क दिया गया है, या समान प्रकृति की ऐसी सभी सामग्री, जैसा कि विद्वान न्याय मित्र द्वारा प्रस्तुत किया

गया है। इस न्यायालय की राय है कि उपयोगकर्ता/पीड़ित पर बोझ को कम करने के लिए "ऐसी सामग्री" वाक्यांश को "सभी सामग्री" के रूप में समझा जाना आवश्यक है, हालांकि, "सभी सामग्री", जिस तक पहुंच को अक्षम किया जाना है, एनसीआईआई के दुरुपयोग से संबंधित होना चाहिए जिसके विषय में पहले ही सूचित किया जा चुका हो। इसके अलावा, यह ध्यान देना उचित है कि कॉपीराइट उल्लंघन [जैसा कि माईस्पेस इंक बनाम सुपरकैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में मुद्दा था], मानहानि, आदि, के विपरीत एनसीआईआई सामग्री समाज में उच्च स्तर की क्षति को व्यक्त करती है।

56. एक्स बनाम भारत संघ, **रि.या.(आप.) 1082/2020** में इस न्यायालय के निर्णय में एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा सभी मध्यस्थगण को एनसीआईआई सामग्री, जिसे न्यायालय ने अवैध माना था, की निगरानी और इसे हटाने में अग्रसक्रिय रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में उक्त निर्णय के खिलाफ एक अपील लंबित है, हालांकि, कोई रोक आदेश नहीं दिया गया है, और इस प्रकार, आदेश अभी भी लागू है। सी.सी.जी. द्वारा प्रकाशित कार्य-पत्र उन जोखिमों को दर्ज करता है जो अत्यधिक व्यापक निर्देशों से उत्पन्न हो सकते हैं, हालांकि, उक्त निर्णय में दिए गए निर्देशों की व्यवहार्यता का तत्काल मामले में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यहां जारी किए जा रहे निर्देश और सुझाव केवल सर्च इंजनों तक ही सीमित हैं। कार्य-पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :-

*"**<u>एन.सी.आई.आई. सामग्री के लिए अग्रसक्रिय निगरानी :-</u>** 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने ज्ञात एन.सी.आई.आई. के पुनः अपलोड होने की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हुए यह निर्धारित किया कि सभी मध्यस्थगण को एन.सी.आई.आई., जिन्हें न्यायालय ने पहले अवैध माना था, की अग्रसक्रिय निगरानी और उन्हें हटाने में संलग्न होना चाहिए। 16 इस तरह की अनिवार्य निगरानी की जिम्मेदारी स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि मध्यस्थगण को गैरकानूनी सामग्री अपलोड करने वालों की पहचान करने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं की निगरानी करनी होगी। 17 इस तरह की स्वचालित फिल्ट्रिंग को नस्लीय और भाषाई अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों द्वारा वैध अभिव्यक्ति को असमान रूप से प्रतिबंधित करने के लिए भी प्रदर्शित किया गया है। 18 सभी मध्यस्थगण पर निगरानी की अपेक्षा को लागू करने से अधिक सामग्री को हटाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बेहतर सामग्री को ही हटाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप वैध भाषण भी हट सकता है। इसलिए एन.सी.आई.आई. के पुनर्वितरण पर रोक लगाने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।"*

57. ऐसी परिस्थितियों में, एक मध्यस्थ को दायित्व प्रदान करने वाले प्रावधानों का अध्ययन अलग-अलग नहीं किया जा सकता है और इसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत उस उद्देश्य के आलोक में एक प्रावधान की व्याख्या पर केंद्रित है जिसके लिए इसे

अधिनियमित किया गया था। जैसा कि स्वयं एमईआईटीवाई द्वारा कहा गया है, आईटी नियम को, जो मध्यस्थगण पर बोझ बढ़ाते हैं और धारा 79 के तहत उनके संरक्षण को खोने की संभावना को बढ़ाते हैं, खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। हाल के 2022 के संशोधन नियम भी मध्यस्थगण के दायित्वों में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं जो इस बात में स्पष्ट है कि केवल उपयोगकर्ताओं को इसके बारे में "सूचित" करने के बजाय, जैसा पहले होता था, मध्यस्थगण को अब यह सुनिश्चित करने के लिए "उचित प्रयास" करने की आवश्यकता है कि इसके उपयोगकर्ता नियम 3 (1)(ख) के तहत परिभाषित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री होस्ट, प्रकाशित, प्रदर्शित, साझा आदि न करें। सर्च इंजन एक मध्यस्थ होने के नाते इस तर्क के पीछे नहीं छिप सकते हैं कि वे नियम 3 के अनुसार पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए केवल तीसरे पक्ष की वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करते हैं *सभी* मध्यस्थगण पर लागू होता है।

58. हालांकि, इस मोड़ पर, इस न्यायालय को यह दोहराना आवश्यक लगता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण का अभावपूर्ण दृष्टिकोण उल्लंघनकारी सामग्री को हटाने के संबंध में न्यायालय के एक वैध आदेश के बाद सामने आया है। विद्वत न्याय मित्र के निवेदन में सार है कि मध्यस्थगण <u>श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ</u> (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की शरण नहीं ले सकते हैं क्योंकि गैरकानूनी सामग्री को हटाने के संबंध में एक प्रभावी

न्यायालय आदेश पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा, आई.टी. नियम अब लागू हो गए हैं जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में निर्णय दिए जाने के समय नहीं थे। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में न्यायालय के आदेश के रूप में या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर परिभाषित "वास्तविक ज्ञान" के अलावा, आईटी नियमों के नियम 3(2)(ख) और (ग) अब पीड़ित/उपयोगकर्ता को अपनी शिकायत के साथ मध्यस्थ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, यह पहले से ही एक समयरेखा को अनिवार्य करता है जिसका उल्लंघन करने वाली सामग्री तक पहुंच को अक्षम/डी-लिंकिंग करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। यदि समग्र रूप से पढ़ा जाए, यदि उपयोगकर्ता/पीड़ित को प्रत्येक विशिष्ट यू.आर.एल. को बार-बार लेकर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, तो यह केवल समयसीमा और शिकायत निवारण तंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा जैसा कि आई.टी. नियमों के तहत बताया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आईटी अधिनियम के तहत सामग्री को हटाने के संबंध में लंबे समय से यही अभ्यास रहा है कि विशिष्ट यू.आर.एल. प्रदान किया जाता है, हालांकि, यह अभ्यास उपयोगकर्ता/पीड़ित के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के समान नहीं हो पाता है और यह नैतिक रूप से या अन्यथा उचित नहीं है कि यह सुझाव दिया जाए कि एक एनसीआईआई दुर्व्यवहार पीड़ित को उनसे संबंधित एनसीआईआई सामग्री के लिए इंटरनेट पर खोजना होगा और बार-बार अधिकारियों से संपर्क कर लगातार

खुद को मानसिक आघात के अधीन करना होगा। एक बार जब उपयोगकर्ता/पीड़ित द्वारा इसकी सूचना दी जा चुकी है या अदालत का आदेश या उपयुक्त सरकार का आदेश दिया जा चुका है, तो सर्च इंजन यह तर्क नहीं दे सकता है कि सूचित किए जाने या आदेश के बाद की गई सामग्री का कोई भी फ़िल्टरिंग अग्रसक्रिय प्रकृति की है; इसे केवल किसी व्यक्ति या न्यायिक आदेश के लिए विशिष्ट ऐसी सामग्री के अस्तित्व के विषय में सूचित किए जाने के अनुसरण में की गई कहा जा सकता है।

59. जब आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच को हटाने के सवाल की बात आती है तो इस तथ्य कि सर्च इंजन स्वयं सामग्री की होस्टिंग या प्रकाशन या निर्माण नहीं करते हैं, का कोई महत्व नहीं है। यह निर्विवाद है कि उनके पास आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच को अक्षम करने की योग्यता, क्षमता और कानूनी जवाबदेही है; सर्च इंजन की इस जिम्मेदारी को इस आधार पर नहीं दबाया जा सकता है कि वह सामग्री को होस्ट नहीं करता है।

60. यह न्यायालय कष्टपूर्वक से उल्लेख करता है कि एक सहयोगपूर्ण प्रयास का घोर अनुपस्थिति है जिसे आदर्श रूप से मध्यस्थ और राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं और अधिकारियों का ध्यान उनके सामने लाई गई शिकायत के त्वरित निवारण पर होना चाहिए, न कि दोष से बचने या अपने कर्तव्यों की दुष्कर प्रकृति पर निवेदन प्रस्तुत करने पर। जिम्मेदारी से बचने की प्रक्रिया में, आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में कीमती समय बर्बाद हो जाता है

और यह अपराधी को सामग्री को फिर से पोस्ट करने में सक्षम बनाता है। यह अन्य संभावित अपराधियों को एनसीआईआई सामग्री के इस तरह के प्रसार के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वे ऐसा करने के परिणामों की अनुपस्थिति से अवगत हैं। यह बदले में विधिक निवारण तंत्र को विफल कर देता है और पीड़ित/उपयोगकर्ता को होने वाला भावनात्मक और प्रतिष्ठा दोनों से संबंधित क्षति होती और बनी रहती है। भारत जैसे रूढ़िवादी देश में जहां इस तरह के मामले खाने की मेज पर बातचीत का हिस्सा नहीं हैं, एनसीआईआई का दुरुपयोग वास्तव में पीड़ित के लिए कष्टप्रद परिणाम और चिरस्थायी कलंक का कारण बनता है। इसके आलोक में, इसमें शामिल प्रत्येक संस्था का प्रयास इस मुद्दे को तेजी से हल करने का होना चाहिए।

<u>निर्देश और सिफारिशें</u>

61. पूर्वगामी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रत्यर्थी मध्यस्थगण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को निम्नलिखित निर्देश और सिफारिशें जारी करना उचित समझता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तत्काल प्रकृति के मामलों को इस तरह से निपटाया जाए जो पीड़ित को होने वाले मानसिक आघात को कम करता है और समस्या को तेजी से हल करता है :-

i. एन.सी.आई.आई. सामग्री से जुड़े मामले में इसे हटाने हेतु आदेश के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर, याचिकाकर्ता को, याचिका के साथ, सीलबंद लिफाफे में एक हलफनामा दायर करना चाहिए, जिसमें उनके अवैध होने के प्रत्यक्ष निर्धारण के लिए कथित रूप से अपमानजनक यू.आर.एल. के अलावा उन विशिष्ट ऑडियो, दृश्य छवियों और मुख्य शब्दों की पहचान की जानी चाहिए, जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है।

ii. नियम 2(1)(ट) के तहत परिभाषित शिकायत अधिकारी, जिसे मध्यस्थ द्वारा उपयोगकर्ताओं/पीड़ितों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है, को उचित रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। एन.सी.आई.आई. दुरुपयोग की परिभाषा की व्याख्या मध्यस्थगण द्वारा बिना सहमति के प्राप्त यौन सामग्री और किसी व्यक्ति की गोपनीयता के उल्लंघन के साथ-साथ एक निजी और गोपनीय संबंधों के लिए प्राप्त और अभिप्रेत यौन सामग्री को इसमें शामिल करने के लिए उदारता से की जानी चाहिए।

iii. "ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल", जो cybercrime.gov.in पर उपलब्ध एक केंद्रीय पटल है, में शिकायतकर्ता के लिए एक स्थिति(स्टेटस) ट्रैकर होना चाहिए, जो एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने से शुरू होकर अपमानजनक सामग्री को हटाने तक

रहे। पटल को विशेष रूप से विभिन्न निवारण तंत्रों को प्रदर्शित करना चाहिए जिन्हें एनसीआईआई प्रसार के मामलों में पीड़ित द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह डिस्प्ले आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं में होनी चाहिए। cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, दिल्ली पुलिस की प्रत्येक अन्य वेबसाइट के साथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद प्रत्येक जिला साइबर पुलिस थाने के संपर्क विवरण/पते को भी विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहिए।

iv. सूचना की प्राप्ति पर, एनसीआईआई सामग्री की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो आईटी अधिनियम की धारा 66ङ के तहत दंडनीय है और इसके निरंतर अस्तित्व से पीड़ित को होने वाली पीड़ा को देखते हुए, दिल्ली पुलिस को जांच शुरू करने के लिए और अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाने के लिए तुरंत एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि गैरकानूनी सामग्री को बार-बार अपलोड होने से रोका जा सके।

v. प्रत्येक जिला साइबर पुलिस स्टेशन में एक नियत अधिकारी होना चाहिए, जिसे उन मध्यस्थगण से संपर्क करना चाहिए, जिनके खिलाफ पीड़ित ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि शिकायत का समाधान आईटी नियमों के तहत निर्धारित समय सारिणी के भीतर किया जाए। मध्यस्थगण को

बिना शर्त सहयोग करने के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को तेजी से जवाब देने और उसके बाद आईटी नियमों के तहत समय सारिणी का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

vi. एन.सी.आई.आई. सामग्री की सूचना देने के उद्देश्य से एक पूरी तरह से कार्यात्मक हेल्पलाइन तैयार की जानी चाहिए जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे। इस हेल्पलाइन पर काम करने वाले संचालकों और व्यक्तियों को एनसीआईआई सामग्री की प्रकृति के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में पीड़ित को दोष देने या शर्मिंदा करने में शामिल नहीं होना चाहिए। एनसीआईआई सामग्री के पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इन संचालकों के पास पीड़ितों के संदर्भ के लिए पंजीकृत परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के साथ संगठनों का एक डेटाबेस भी उपलब्ध होना चाहिए। पीड़ितों को कानूनी सहायता की आवश्यकता होने की स्थिति में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अवगत कराया जा सकता है और शामिल किया जा सकता है।

vii. सर्च इंजनों को मेटा द्वारा विकसित की गई तकनीक की तर्ज पर प्रासंगिक हैश-मिलान तकनीक के साथ पहले से मौजूद तंत्र को नियोजित करना चाहिए जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। उन्हें यह कहकर अपने वैधानिक दायित्वों से बचने की अनुमति नहीं दी जा

सकती है कि उनके पास आवश्यक तकनीक नहीं है, जो स्पष्ट रूप से गलत है जैसा कि सुनवाई के दौरान प्रदर्शित किया गया है।

viii. आईटी नियमों के नियम 3(2)(ग) के तहत सूचना देने के तंत्र को मध्यस्थगण द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित कर उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना देने के तंत्र के बारे में जागरूक होना आवश्यक है और उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी मध्यस्थगण पर है।

ix. आईटी नियमों के नियम 3 के तहत निर्धारित समय सीमा का बिना किसी अपवाद के सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और यदि उक्त समय सीमा से मामूली विचलन भी होता है, तो आईटी नियमों की धारा 79 के तहत किसी सर्च इंजन को दिए गए जवाबदेही से संरक्षण को सर्च इंजन द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

x. जब कोई पीड़ित किसी न्यायालय या विधि प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करता है और हटाए जाने हेतु आदेश प्राप्त करता है, तो सर्च इंजनों द्वारा एक टोकन या डिजिटल आईडेंटिफायर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डी-इंडेक्स की गई सामग्री फिर से सामने न आए। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता/पीड़ित को एन.सी.आई.आई. सामग्री को प्रारंभ में हटाए जाने

पर एक यूनीक टोकन प्रदान किया जाए। यदि उपयोगकर्ता/पीड़ित को बाद में पता चलता है कि वही सामग्री फिर से सामने आई है, तो यह सर्च इंजन की जिम्मेदारी है कि पीड़ित को उसे हटाने के लिए बार-बार न्यायालयों या अन्य अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता के बिना, वह पहले से मौजूद उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करे कि अपमानजनक सामग्री तक पहुंच तुरंत बंद कर दी जाए। सर्च इंजन उस सामग्री तक पहुंच को हटाने के उद्देश्य से पीड़ित से विशिष्ट यू.आर.एल. की अपेक्षा पर जोर नहीं दे सकता है जिसे पहले ही हटाने का आदेश दिया जा चुका है, और पीड़ित को अधिकारियों या न्यायालयों से संपर्क करके अपमान या उत्पीड़न का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

xi. दीर्घकालिक सुझाव के रूप में, उपयोगकर्ता/पीड़ित द्वारा आपत्तिजनक एनसीआईआई सामग्री या संचार लिंक को पंजीकृत करने के लिए नियम 3(2)(ग) के तहत विभिन्न सर्च इंजनों के सहयोग से एमईआईटीवाई द्वारा एक विश्वसनीय तृतीय-पक्ष एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है। तदनुसार, विचाराधीन मध्यस्थ उक्त एनसीआईआई को क्रिप्टोग्राफिक हैश/आईडेंटिफायर निर्धारित कर सकते हैं, और एक सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा स्वचालित रूप से उनकी पहचान कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। इससे पीड़ित/उपयोगकर्ता पर लगातार स्वयं से

संबंधित एनसीआईआई के लिए इंटरनेट की जांच करते रहने का और एक-एक यूआरएल को हटाने/डी-इंडेक्सिंग के लिए अनुरोध करने का बोझ कम होगा। इस तथ्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता/पीड़ित की गोपनीयता अलंघनीय होनी चाहिए और हैश-मैचिंग तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए डेटा को संग्रहीत और दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शामिल डेटा की अतिसंवेदनशीलता के कारण, पटल को सबसे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही मानकों के अधीन होना चाहिए।

62. इस न्यायालय द्वारा की गई यह लंबी कवायद उपयुक्त प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो गई थी ताकि न्यायालय के आदेशों को विफल और उपेक्षित किए जाने पर रोक लगाई जा सके। तत्काल विषय को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के अस्तित्व के साथ-साथ एनसीआईआई सामग्री के पुनरुत्पादन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से अवैध है, को रोकने के लिए आवश्यक स्वचालित उपकरणों के अस्तित्व के बावजूद इस न्यायालय ने कानून को लागू करने की स्थिति में, मध्यस्थगण द्वारा प्रदर्शित अनिच्छा और वास्तविक स्थिति का न्यायिक संज्ञान लिया है। इस न्यायालय को उम्मीद है कि इसमें दिए गए निर्देशों और सुझावों का संबद्ध संस्थाओं द्वारा विधिवत पालन किया जाएगा।

63. यह न्यायालय विद्वान न्याय मित्र श्री सौरभ कृपाल के योगदान को स्वीकार करता है और इस प्रकार के मुद्दे पर अमूल्य सहायता और सुझाव देने और उसमें बहुत आवश्यक स्पष्टता लाने के लिए उनके और उनके सहयोगियों के प्रति सहर्ष अपना अपार आभार व्यक्त करता है। यह न्यायालय मामले में उनके शोध, सहयोग और सहायता के लिए विधि शोधकर्ता सुश्री राधिका रॉय के योगदान को भी स्वीकार करता है।

64. हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, यह न्यायालय यह कहने के लिए मजबूर महसूस करता है कि आईटी अधिनियम और आईटी नियम मध्यस्थगण के दायित्वों की प्रकृति को चित्रित करने में व्यापक और स्पष्ट हैं। इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारों और संस्थाओं को इसके तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन और कार्यान्वयन करना चाहिए। इसलिए, यह न्यायालय विद्वान न्याय मित्र को ऊपर दिए गए निर्देशों/सुझावों के संशोधन या स्पष्टीकरण के लिए किसी भी आवेदन सहित इस संबंध में एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

65. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

न्या., सुब्रमोणयम प्रसाद

अप्रैल 26,2023/राहुल/आरआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*